



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

अजीतपुर - ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



रामपुर





कलाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



अजीतपुर - ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री जोगिन्दर सिंह, आईएएस, जिलाधिकारी (डीएम), रामपुर
श्री नंद किशोर कलाल, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), रामपुर

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री कृति लूथरा, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

अजीतपुर ग्राम पंचायत

श्रीमती मीना नासिर, ग्राम प्रधान

क्षेत्रीय शोध समर्थन

ग्राम स्वराज मिशन आश्रम, जंगबहादुरगंज, लखीमपुर खीरी

श्री उदयरतन, श्री रामनारायण, सुश्री अलका, श्री विश्वम्भर नाथ

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री ससाधर रॉय, श्री रोहिण कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया





श्री जोगिन्दर सिंह
(आई.ए.एस.)



जिलाधिकारी,
जनपद- रामपुर
उत्तर प्रदेश
पत्र सं०- 2955/
दिनांक :- 10/10/2024

—:संदेश:—

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-अजीतपुर, विकास खण्ड-चमरौआ, जनपद-रामपुर की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में अपनी महती भूमिका निभा सकती हैं। हमारे समुदाय, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थ व्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु अनुकूल कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय
(जोगिन्दर सिंह)

नन्द किशोर कलाल
(आई.ए.एस.)



मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-रामपुर,

उत्तर प्रदेश

पत्र सं०- 2883/

दिनांक:- 08/10/2024

:: संदेश ::

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि जन कल्याण को भी बढ़ावा दें।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग, क्रियान्वयन और लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही हम सब मिलकर जलवायु नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं तथा स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-अजीतपुर, विकास खण्ड चमरौआ, जनपद रामपुर की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

एक बार पुनः क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ तथा योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय

(नन्द किशोर कलाल)

ग्राम पंचायत अजीतपुर विकास खण्ड चमरौआ

जनपद-रामपुर (30प्र0)

श्रीमती मीना नासिर
“प्रधान”

निवासी :-
ग्राम अजीतपुर
पो० अजीतपुर, जिला रामपुर (30प्र०)
मो०-9927106294, 7037542274

पत्रांक :

दिनांक: २१-१-२०२४.....

प्रेषक:-

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत अजीतपुर,
विकास खण्ड चमरौआ,
जिला रामपुर।

आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत अजीतपुर, विकास खण्ड चमरौआ की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दना मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत अजीतपुर को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम कदम प्रयास को आपसे सांझा करते हुए रोमांचित हू।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और भावी पिढ़ियों की भलाई के लिए उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्व सहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था कि ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक में समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गई और आंकड़ों को एकत्रित किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए मैं स्थानिय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी) गोरखपुर द्वारा आंकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत अजीतपुर में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाएँ जो ना केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण की जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी संस्था वसुधा फाउण्डेशन, नई दिल्ली की भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों व अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए साथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करती हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़े और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।
धन्यवाद।

ग्राम प्रधान
(श्रीमती मीना नासिर)
ग्राम पंचायत अजीतपुर,
वि०ख० चमरौआ,
जिला रामपुर।



विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल	5
	▪ अजीतपुर ग्राम पंचायत एक नजर में	5
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	6
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	7
	▪ कार्यरत महिलाएं	8
	▪ कृषि	9
	▪ प्राकृतिक संसाधन	9
	▪ अजीतपुर में सुविधाएं	10
3	कार्बन फुटप्रिंट	11
4	व्यापक मुद्दे	12
5	प्रस्तावित मुद्दाव	13
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	14
	2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	19
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	25
	4. सतत कृषि	29
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	34
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	43
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	46
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	50
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	56
8	आगे की राह	62
9	अनुलग्नक	63

चित्र तालिका

चित्र 1	: अजीतपुर ग्राम पंचायत, रामपुर ज़िले का भूमि-उपयोग मानचित्र	6
चित्र 2	: अजीतपुर का वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019	7
चित्र 3	: अजीतपुर में वार्षिक वर्षा (मिलीमीटर), 1990-2019	7
चित्र 4	: अजीतपुर में परिवारों की आय के स्रोत	7
चित्र 5	: अजीतपुर में राशन कार्ड वाले परिवार	8
चित्र 6	: अजीतपुर में आर्थिक गतिविधियों में शामिल महिलाओं की संख्या	8
चित्र 7	: अजीतपुर में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	9
चित्र 8	: अजीतपुर में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण	9
चित्र 9	: 2022 में अजीतपुर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	11
चित्र 10	: 2022 में अजीतपुर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	11



कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले की अजीतपुर ग्राम पंचायत मध्य पश्चिमी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अजीतपुर की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत में लचीलापन लाने, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने और साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के कार्ययोजनाओं के विकास के उद्देश्य से तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर इस कार्ययोजना को तैयार किया गया है। अजीतपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे अजीतपुर ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

यह कार्ययोजना में प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, मध्य पश्चिमी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति को शामिल किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, समूह केन्द्रित चर्चाओं, संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए अजीतपुर ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और अजीतपुर ग्राम पंचायत के प्रमुख

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरण का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करना: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़ें एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत की रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और अजीतपुर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- अनुमानित कार्बन फुटप्रिंट: अजीतपुर में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया था।
- प्रस्तावित गतिविधियाँ/संस्तुतियाँ: चिह्नित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर अजीतपुर के लिए अनुशंसाएँ तैयार की गईं। इन अनुशंसाओं में मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अजीतपुर की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना बनाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

मुद्दों की पहचान करने में सहायता मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है कि इस ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव और 3,447 परिवार हैं जिनकी कुल आबादी 24,922 है। गैर-कृषि मजदूरी ग्राम पंचायत की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि अजीतपुर ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~7,455 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂e) है।²

ग्राम पंचायत अजीतपुर में तत्काल कार्यवाही हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए जल निकासी के बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- सूक्ष्म सिंचाई, कृषि वानिकी और प्राकृतिक खेती जैसी सतत कृषि पद्धतियों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में लचीलापन लाना।
- परिवहन क्षेत्र और आवासीय खाना पकाने में ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करना।
- सड़कों/गलियों आदि के किनारे लक्षित वृक्षारोपण गतिविधियाँ करके हरित क्षेत्रों को बढ़ाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का उपयोग करना और सौर छतों की संस्थापना, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में ऊर्जा कुशल फिक्सचर के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियाँ/संस्तुतियाँ प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता और बढ़ी हुई आजीविका और हरित उद्यमशीलता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

अजीतपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे ग्राम पंचायत अजीतपुर की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा अजीतपुर जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- जलवायु परिपेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को अजीतपुर की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकास्य कार्याकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

2 इसमें ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त आंकड़ों और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक)


इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से प्रति वर्ष कुल 1,217 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) से अधिक उत्सर्जन कम होने का अनुमान है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 31,20,000 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹19 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग शामिल है। इसमें से, आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹6.7 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनो/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना













क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



अजीतपुर

अजीतपुर ग्राम पंचायत एक नजर में:†

	स्थान	चमरौन ब्लॉक, रामपुर जिला
	कुल क्षेत्रफल³	380.6 हेक्टेयर ⁴
	संयोजन	1 राजस्व गांव
	कुल जनसंख्या	24,922
	पुरुषों की संख्या	13,268
	महिलाओं की संख्या	11,654
	कुल परिवार	3,447
पंचायत अवसंरचना		
	4-(1 पंचायत भवन, कम्पोजिट स्कूल, 1 आंगनवाड़ी केंद्र और 1 स्वास्थ्य उप-केंद्र)	
भूमि उपयोग		
	कृषि भूमि: 127.9 हेक्टेयर	
	सार्वजनिक भूमि: 1 हेक्टेयर	
	अन्य भूमि: 251.7 हेक्टेयर (बस्तियाँ और जल निकाय)	

**प्राथमिक आर्थिक गतिविधि**

गैर-कृषि मज़दूरी

**जल संसाधन:**

1 तालाब, 8 कुएँ

कृषि-जलवायु क्षेत्र⁵

- मध्य पश्चिमी मैदान
- जलवायु परिस्थितियाँ: मध्यम वर्षा के साथ उपोष्णकटिबंधीय
- अधिकतम तापमान: 45.4 °C
- न्यूनतम तापमान: 4.5 °C
- वार्षिक वर्षा: 1,032 मिमी
- मिट्टी का प्रकार: मुख्य रूप से दोमट, दलहन और तिलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त

**जिले की समग्र संवेदनशीलता⁶**

माध्यम

जिले की क्षेत्रीय संवेदनशीलता

- वन संवेदनशीलता: अधिक
- ऊर्जा संवेदनशीलता: अधिक
- आपदा प्रबंधन संवेदनशीलता: अधिक
- ग्रामीण संवेदनशीलता: अधिक
- स्वास्थ्य संवेदनशीलता: माध्यम
- जल संवेदनशीलता: कम
- कृषि संवेदनशीलता: बहुत कम


† योजना के विकास के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्राप्त (फरवरी, 2023)

3 भुवन से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 320 हेक्टेयर है। <https://bhuvanpanchayat.nrsc.gov.in/index.html> पर उपलब्ध है

4 ग्राम प्रधान के साथ कई दौर की चर्चा के आधार पर



5 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

6 उत्तर प्रदेश SAPCC 2.0



**अजीतपुर ग्राम पंचायत
चमरौन ब्लॉक
रामपुर ज़िला
उत्तर प्रदेश राज्य**

स्रोत: स्पेस बेसड इनफार्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग
<https://bhuvan-panchayat3.rsc.gov.in/>



चित्र 1: अजीतपुर ग्राम पंचायत, रामपुर ज़िले का भूमि-उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों (तापमान और वर्षा)⁷ से ज्ञात होता है कि वर्ष 1990 और 2019 के बीच वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान और न ही वार्षिक वर्षा में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है (चित्र 2 और 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है।⁸ इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)⁹, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹⁰ के द्वारा भी की गई है।

इसके अलावा, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन के विषय पर समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है कि 2010-2020 के दशकों में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 30 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों में लगभग 25 दिनों की कमी देखी गई है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 28 दिनों की कमी आई है (मानसून की देर से शुरुआत)।


ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।

7 अजीतपुर के लिए दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) के आंकड़ें और दैनिक वर्षा के आंकड़ें आईएमडी मौसम स्टेशन बरेली से लिए गए हैं, जो जीपी से लगभग 60 किमी दूर है और उसी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है


8 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

9 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

10 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिंगर




चित्र 2: अजीतपुर का वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019



चित्र 3: अजीतपुर में वार्षिक वर्षा (मिलीमीटर), 1990-2019


प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए गैर-कृषि मजदूरी (~35 प्रतिशत), कला/हस्तशिल्प (~29 प्रतिशत) और लघु उद्योग (15 प्रतिशत) पर निर्भर हैं क्योंकि कई उद्योग ग्राम पंचायत में और उसके आसपास स्थित हैं। परिवारों का एक छोटा प्रतिशत कृषि (8 प्रतिशत) और पशुपालन (3 प्रतिशत) जैसी अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हैं (चित्र 4)।



चित्र 4: अजीतपुर में परिवारों की आय के स्रोत


सर्वेक्षण के समय ग्राम पंचायत में 120 परिवार, यानी कुल परिवारों का 3.4 प्रतिशत गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे थे। राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 83 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजना से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं, इनमें से 120 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड¹¹ है (चित्र 5 देखें)।



चित्र 5: अजीतपुर में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

ग्राम पंचायत अजीतपुर में लगभग 435 कामकाजी महिलाएं हैं। वे ज्यादातर कला/हस्तशिल्प में शामिल हैं और उसके बाद लघु उद्योगों में सम्मिलित हैं (चित्र 6 देखें)। कुछ महिलाएँ सेवा क्षेत्र, गैर-कृषि मजदूरी, कृषि और स्थानीय व्यवसाय में सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत में 80 ऐसे परिवार हैं जिनकी मुखिया महिला हैं¹² जो ग्राम पंचायत के कुल परिवारों का लगभग 12.6 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, 11 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें से केवल 3 सक्रिय हैं। वे सिलाई और सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हैं।



चित्र 6: अजीतपुर में आर्थिक गतिविधियों में शामिल महिलाओं की संख्या


11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)

12 महिला मुखिया वाले परिवार वे परिवार हैं जिनमें केवल महिलाएं कामकाजी हैं।


कृषि

ग्राम पंचायत अजीतपुर में 8 प्रतिशत परिवार अपनी आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है। ये परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि में सम्मिलित हैं¹³ (चित्र 7 देखें)।

अजीतपुर में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 127.9 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र 251.4 हेक्टेयर है। चित्र 8 में ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण दिया गया है। उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसल धान (~4,320) और प्रमुख रबी फसल गेहूं (~3,095 क्विंटल) है। ग्राम पंचायत में उगाई जाने वाली अन्य फसलों में आलू, सरसों, मटर और अरबी शामिल हैं।



चित्र 7: अजीतपुर में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



चित्र 8: अजीतपुर में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण

सिंचाई के मुख्य स्रोतों में भूजल, वर्षा जल और नहरें शामिल हैं। इसके अलावा, सिंचाई के लिए 50 डीजल पंप और 1 सौर पंप का उपयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत की लगभग 3 प्रतिशत आबादी पशुपालन में संलग्न है | ग्राम पंचायत में कुल पशुधन जनसंख्या 910 (50 गाय, 400 भैंस, 410 बकरी, 50 सूअर) है।

प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, गाँव में एक तालाब है। ग्राम पंचायत में पाए जाने वाले पेड़ों में आम, अमरूद, शीशम, पीपल और नीम शामिल हैं।

13 यह ध्यान देने योग्य बात है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से खेती में लगे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे ज़मीन के मालिक भी बड़े खेतों पर मज़दूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, बड़े ज़मीन के मालिक किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं।

अजीतपुर में सुविधाएं

बिजली तथा रसोई गैस (एलपीजी)

- बिजली कनेक्शन: 90% परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन: 80% परिवार



पेयजल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत: भूजल
- पाइप से पानी का कनेक्शन: 52.9% घर
- 157 इंडिया मार्क हैंडपंप



अपशिष्ट पदार्थ

- खुले में शौच से मुक्त पंचायत का दर्जा हासिल
- घरेलू शौचालय कवरेज: 85%



आवागमन और बाज़ार तक पहुंच

- राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 9): 10 किमी
- ग्राम पंचायत के अंदर डाकघर
- ग्राम पंचायत के अंदर बैंक
- रेलवे स्टेशन: 2 किमी
- बस स्टॉप: 4 किमी
- कृषि बाजार: 5 किमी
- सरकारी राशन की दुकान: 0.2 किमी



शैक्षिक संस्थान

- कम्पोजिट स्कूल

स्वास्थ्य संस्थान


- स्वास्थ्य उपकेंद्र
- आंगनवाड़ी



हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रूपरेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में इसलिए ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) अनुमान सम्मिलित नहीं किये गए हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LIFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, अजीतपुर ग्राम पंचायत ने कई तरह की गतिविधियों से लगभग 7,455 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया है (चित्र 9 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों में घटित गतिविधियों का अजीतपुर ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में मुख्य योगदान है। ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जन बिजली की खपत¹⁴, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और एलपीजी के दहन, बिजली बैकअप के लिए जनरेटर के उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग¹⁵, पशुधन और खाद प्रबंधन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 9: 2022 में अजीतपुर में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

अजीतपुर के कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 51 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन मुख्य उत्सर्जक (~1,979 tCO₂e) है, इसके बाद घरों में खाना पकाने (~1,494 tCO₂e) और बिजली की खपत (~200 tCO₂e) का स्थान है। कृषि क्षेत्र ने ग्राम पंचायत से होने वाले कुल उत्सर्जन में 35 प्रतिशत योगदान है, जिसमें फसल अवशेष जलाना (~1,717 tCO₂e) सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, इसके बाद धान से कार्बन उत्सर्जन (~421 tCO₂e) और पशुधन से कार्बन उत्सर्जन (~374 tCO₂e) का स्थान है। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट क्षेत्र ने कुल उत्सर्जन में 14 प्रतिशत (~1,037 tCO₂e) का योगदान दिया है (चित्र 10 देखें)।



चित्र 10: 2022 में अजीतपुर के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

14 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन जीपी सीमा के बाहर होता है

15 मोरादाबाद और शाहजहांपुर, जो अजीतपुर के नजदीकी जिले हैं, से खाद की खपत के आंकड़ों को लेकर खाद के उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

व्यापक मुद्दे:

- पर्याप्त जल निकासी हेतु बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अधिक जलजमाव की स्थिति
- उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के अभाव के कारण सार्वजनिक क्षेत्रों में अपशिष्ट को फेंका जाता है
- हरे-भरे स्थानों की कमी
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और **लागत अनुमानों**¹⁶ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण - I (2024-25 से 2026-27); चरण - II (2027-28 से 2029-30); और चरण - III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत क्लाइमेट/संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

कार्ययोजना में मुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत कृषि
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य सुझावों/संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

16 लागत का अनुमान निम्नलिखित के आधार पर लगाया गया है, जैसे: ग्राम पंचायत के मुख्य सदस्यों से प्राप्त जानकारीयां, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार अनुमानित लागत, या आवश्यक आदानों की प्रति इकाई की अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।

1 जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



संदर्भ एवं मुद्दे¹⁷

- अजीतपुर ग्राम पंचायत कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों में पानी की आपूर्ति कम हो गई है और वर्तमान में यह अपर्याप्त है।
- एचआरवीसीए के अनुसार, ग्राम पंचायत में 8 कुएँ और 1 तालाब हैं।
- अजीतपुर ग्राम पंचायत में उचित जल निकासी के बुनियादी ढाँचे की कमी है, जिससे जलजमाव होता है। यह ग्राम पंचायत की प्रमुख चिंताओं में से एक है, जो कनेक्टिविटी को प्रभावित करती है, जिससे कचरा फैल जाता है और इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पेयजल प्रदूषित होता है और कृषि को प्रभावित करती है।
- ग्राम पंचायत से होकर एक नाला बहता है जो आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और यह कोसी नदी में बहता है।
- वर्ष 2018 से 2022 के बीच जुलाई से अगस्त माह के दौरान सूखे जैसे हालात रहे, जिससे पानी की उपलब्धता में कमी आई है। इससे पेयजल संकट, सिंचाई की बढ़ती जरूरत, उत्पादकता में गिरावट और चारे की कमी के अलावा अन्य प्रभाव भी हुए हैं। इसलिए अजीतपुर ग्राम पंचायत में वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ाने की जरूरत है।
- ग्राम पंचायत के करीब 53 प्रतिशत घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन है।
- ग्राम पंचायत में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 157 इंडिया मार्क हैंडपंप और एक पानी की टंकी है, लेकिन भूजल स्तर में गिरावट और भूजल प्रदूषण के कारण ये समुदाय की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इससे जल जनित रोगों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की जरूरत है।

पिछले पांच वर्षों में भूजल पर निर्भरता और जलजमाव तथा सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण तथा भूजल संसाधनों की भरपाई के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं। अजीतपुर में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने तथा जल सुरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं।

17 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत में स्थित सभी सरकारी भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना* भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण गड्ढे <p>*सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<ol style="list-style-type: none"> भूखंड के आकार के आधार पर आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की संस्थापना** अतिरिक्त पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई <p>** सभी नए निर्माणों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>प्लॉट के आकार के आधार पर आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना***</p> <p>*** सभी नए निर्माणों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> सरकारी भवनों में 4 आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना - पंचायत भवन, कम्पोजिट स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य उप-केंद्र आवश्यकतानुसार पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई 	<ol style="list-style-type: none"> 10 घनमीटर की औसत भंडारण क्षमता के साथ 1,500 वर्ग फुट के भूखंड से ऊपर के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की संस्थापना आवश्यकतानुसार पुनर्भरण गड्ढों की खुदाई 	<p>1,000 वर्ग फुट से अधिक आकार के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना, जिनकी औसत भंडारण क्षमता 10 घन मीटर हो</p>
अनुमानित लागत	<p>आरडब्ल्यूएच (10 घनमीटर क्षमता की 4 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं): ₹1,40,000 कुल लागत: ₹1,40,000</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>



जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> हैंडपंपों की रीबोरिंग जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण और ट्री गार्ड लगाना हैंडपंपों की मरम्मत मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और निर्माण कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) का क्षमता निर्माण¹⁸ <ul style="list-style-type: none"> जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/अपडेट करना 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना 	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों और अन्य बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव किया जाना उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 13 हैंडपंपों की रीबोरिंग 20 हैंडपंपों की मरम्मत जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ 	मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव	मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव

18 VWSC हैंडबुक, <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphandbook-0.pdf>

अनुमानित लागत¹⁹

<ol style="list-style-type: none"> 13 हैंडपंपों की मरम्मत पर लागत: ₹5,46,800 20 हैंडपंपों की मरम्मत पर लागत: ₹60,000 जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित क्षेत्र और जैवविविधता को बढ़ाना" खंड में शामिल: ₹12,70,000 <p>कुल लागत: ₹6,06,800</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------



जल निकासी और सीवेज बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. नई नालियों का निर्माण 2. जलजमाव को रोकने के लिए मौजूदा नालियों की सफाई 	मौजूदा नालियों की नियमित सफाई एवं रखरखाव	सभी बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव
लक्ष्य ²⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1.3 किलोमीटर नई नालियों का निर्माण 2. मौजूदा नालियों की सफाई 	मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव	सभी मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव
अनुमानित लागत ²¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. नई नालियों के निर्माण की लागत: ₹14,96,300 2. नालियों की सफाई पर लागत: ₹2,06,500 <p>कुल लागत: ₹17,02,800</p>	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

19 एचआरवीसीए के अनुसार लागत

20 स्थान विशेष विवरण के लिए एचआरवीसीए देखें

21 एचआरवीसीए के अनुसार लागत

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के तहत वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रखरखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

2

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



संदर्भ एवं मुद्दे²²

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, और वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट²³ लगभग 1,993 किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसमें 1,156 किलोग्राम प्रतिदिन जैव निम्नीकरणीय (बायोडिग्रेडेबल)/ऑर्गेनिक अपशिष्ट और 837 किलोग्राम प्रतिदिन गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट शामिल हैं।
- अजीतपुर ग्राम पंचायत में अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट उपचार प्रणाली की कमी के कारण ग्राम पंचायत के भीतर भूखंडों में अपशिष्ट फेंका जाता है। इसके परिणामस्वरूप मानसून के दौरान नालियों के बंद होने के कारण जलजमाव होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ते हैं।
- कृषि और पशु अपशिष्ट की बढ़ी मात्रा भी अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाती है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन संख्या 910 (50 गाय, 400 भैंस, 410 बकरियाँ, 50 सूअर)²⁴ है और इन मवेशियों से अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 6.6 टन प्रतिदिन है, जिसे ग्राम पंचायत में खाद बनाने, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे उपायों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में घरेलू शौचालय कवरेज लगभग 85% है।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

22 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया।

23 अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें।

24 अनुमानित है कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर, बकरियाँ प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर और सूअर प्रतिदिन 2 किलोग्राम गोबर पैदा करते हैं।



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन किराए पर लेना और कर्मचारी नियुक्त करना: <ul style="list-style-type: none"> » घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से अलग-अलग कचरे का डोर-टू-डोर संग्रह » घरों से पंचायत-स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक चयनित स्थानों (राशन की दुकानें, बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कूड़ेदानों की स्थापना पंचायत, एसएचजी, अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों, स्थानीय कबाड़ विक्रेताओं, स्थानीय व्यवसायों और एमएसएमई के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय प्रथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना ग्राम पंचायत से बाहर अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> पंचायत-स्तर का रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के अंतर्गत 3,447 घर (100%) शामिल प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ~1,993 किलोग्राम कचरे को एकत्र करने के लिए 6 इलेक्ट्रिक कचरा वैन (क्षमता 310 किलोग्राम) का प्रावधान चयनित स्थानों पर 20 कूड़ेदानों की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना

अनुमानित लागत

1. इलेक्ट्रिक कचरा वैन पर लागत: ₹6,00,000
 2. 20 कूड़ेदानों लगाने पर लागत: ₹3,00,000
- कुल लागत: ₹9,00,000

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



बेहतर स्वच्छता प्रबंधन

चरण

I
2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

सुझाई गई ज़ुलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना
2. समुदाय के लिए शौचालय का निर्माण
3. सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय सुनिश्चित करना

1. घरेलू शौचालय कवरेज में सुधार लाना
2. मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जाना
3. सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय सुनिश्चित करना

1. घरेलू शौचालय कवरेज में सुधार लाना
2. मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जाना
3. सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय सुनिश्चित करना

लक्ष्य

1. 155 घरों में दो द्विन-पिट शौचालयों का निर्माण (30% परिवारों में व्यक्तिगत शौचालय नहीं है)
2. 3 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण

155 घरों में द्विन-पिट शौचालयों का निर्माण (30% परिवारों में व्यक्तिगत शौचालय नहीं है)

207 घरों में द्विन-पिट शौचालयों का निर्माण (40% परिवारों में व्यक्तिगत शौचालय नहीं है)

अनुमानित लागत

1. द्विन-पिट शौचालयों को बनाने पर लागत: ₹23,26,500- ₹31,02,000
 2. 3 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर लागत: ₹6,00,000²⁵
- कुल लागत: ₹29,26,500- ₹37,02,000

द्विन-पिट शौचालय की लागत: ₹23,26,500- ₹31,02,000

कुल लागत: ₹23,26,500- ₹31,02,000

द्विन-पिट शौचालय की लागत: ₹31,05,000- ₹41,40,000

कुल लागत: ₹31,05,000- ₹41,40,000

25 लागत एचआरवीसीए के अनुसार



जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> नाडेप कम्पोस्ट पिट और वर्मीकम्पोस्ट पिट की स्थापना ग्राम पंचायत में कम्पोस्ट मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> खाद गड्डों का नियमित रखरखाव भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना 	<ol style="list-style-type: none"> खाद गड्डों का नियमित रखरखाव भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> नाडेप कम्पोस्ट पिट और वर्मीकम्पोस्ट पिट की स्थापना पंचायत समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (जिसे "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना " अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है): <ul style="list-style-type: none"> » खाद का उत्पादन और बिक्री » कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव साझेदारी को बढ़ाना
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबन्धी गतिविधियाँ	1. निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन: <ul style="list-style-type: none"> » ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) » छात्र एवं युवा समूह » समुदाय के सदस्य एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान 2. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने के लिए पंचायत की महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है)	1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना	1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना
	लक्ष्य	1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध 2. 100-120 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में लगाया जाना (वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 150 महिलाओं में से)	1. एसयूपी पर प्रतिबंध बरकरार रखना 2. इस ग्राम पंचायत एवं आस-पास के गांवों से बढ़ी सहभागिता: <ul style="list-style-type: none"> » अतिरिक्त 200 महिलाएँ » अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- मनरेगा का उपयोग समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों के निर्माण के लिए किया जा सकता है; अलगाव और भंडारण शेड।
- स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के तहत अवसंरचना के विकास और प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- इसके अलावा, प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना को विकसित करने के लिए ग्रामपंचायत के अपने संसाधनों, बंधे और खुले निधियों सहित, का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

3

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



संदर्भ एवं मुद्दे²⁶

- अजीतपुर में कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है।
- आम, अमरूद, शीशम, पीपल और नीम ग्राम पंचायत में पाए जाने वाले आम पेड़ों में से हैं।

अजीतपुर ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है क्योंकि इससे न केवल थर्मल आराम में सुधार होगा और छाया मिलेगी बल्कि ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।



हरित आवरण में सुधार

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none">निम्न विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ²⁷:<ul style="list-style-type: none">छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम²⁸ (5 छात्रों का चयन)देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण	<ol style="list-style-type: none">मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखावबाल वन²⁹ के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखना और बढ़ानाकिसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जानाआरोग्य वन की स्थापना	<ol style="list-style-type: none">वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव- बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपणकृषि वानिकी पहल के तहत क्षेत्र का विस्तार

26 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

27 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

28 स्कूली छात्रों को पेड़ लगाने के काम में लगाया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ जीपी समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

29 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार वृक्षों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे तथा उन्हें अपने बच्चों के जीवन में इन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

2. आरोग्य वन का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों का रोपण³⁰

3. आरोग्य वन में प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाईयों की स्थापना (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में बताया गया है)

1. सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 2,000 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्री गार्ड का उपयोग करके) सुनिश्चित करना

पृथक्करण क्षमता³¹ : 15-20 वर्षों में 11,200 tCO₂ से 20,000 tCO₂ तक

2. आरोग्य वन की स्थापना के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/सीमांकित करना

1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास 2,000 से 2,500 पौधों का रोपण

पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 14,000 tCO₂ से 25,000 tCO₂

2. आरोग्य वन की स्थापना और रखरखाव
3. ~ 49.3 हेक्टेयर भूमि पर कृषि-वानिकी अपनाना, 4,930 पेड़ लगाना³²

पृथक्करण क्षमता (सीक्विस्ट्रेशन): 20 वर्षों में 27,608 tCO₂ से 49,300 tCO₂

4. प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों और युवा समूहों की क्षमता निर्माण। विनिर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों की क्षमता निर्माण।

1. अतिरिक्त 2,500 से 3,000 पौधों का रोपण
पृथक्करण क्षमता : 15-20 वर्षों में 16,800 tCO₂ से 30,000 tCO₂

2. शेष 74 हेक्टेयर भूमि पर कृषि-वानिकी अपनाना, 7,400 पेड़ लगाना

पृथक्करण क्षमता (सीक्विस्ट्रेशन): 20 वर्षों में 41,440 tCO₂ से 74,000 tCO₂

3. आरोग्य वन का रखरखाव तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी रखना

30 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

31 सागौन की प्रजातियों के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान

32 गेहूँ के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि (~123.4 हेक्टेयर) कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

अनुमानित लागत

<p>वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹25,40,000 कुल लागत: ₹25,40,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹25,40,000- ₹31,75,000</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹19,72,000</p> <p>कुल लागत: ₹45,12,000- ₹51,47,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹31,75,000-₹38,10,000</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹29,60,000</p> <p>कुल लागत: ₹61,07,000- ₹67,70,000</p>
---	--	---



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना जागरूकता को मजबूत करना

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता वृद्धि जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन 	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना
--	--	--

अनुमानित लागत

जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण पर लागत ³³ : ₹25,000
--

33 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
 - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ

4

सतत कृषि



संदर्भ एवं मुद्दे³⁴

- अजीतपुर ग्राम पंचायत में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल ~127.9 हेक्टेयर है और सकल फसली क्षेत्रफल लगभग ~251.4 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 8 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 3 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- प्रमुख रबी फसल गेहूं (~123 हेक्टेयर) और प्रमुख खरीफ फसल धान (~124 हेक्टेयर) है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में उगाई जाने वाली अन्य फसलों में आलू, मटर, सरसों और अरबी शामिल हैं।
- ग्राम पंचायत ने 2018 से 2022 तक आम तौर पर जुलाई से अगस्त के दौरान सूखे जैसी स्थितियों का अनुभव किया, जिससे सिंचाई की ज़रूरतें बढ़ गईं और चारे की कमी ने किसानों की आजीविका को प्रभावित किया है।
- गेहूं की बुवाई का समय अक्टूबर/नवंबर से दिसंबर में बदल गया है। इसी तरह, धान के लिए अपर्याप्त वर्षा और जलजमाव के कारण बुवाई का समय जुलाई से अगस्त में बदल गया है।
- वर्ष 2018 से 2022 तक के वर्षों में, तीव्र गर्मी, कीटों और अपर्याप्त वर्षा के कारण फसल का नुकसान हुआ है। यह नुकसान लगभग ~1,880 क्विंटल उपज (गेहूं और धान) या लगभग ₹41 लाख (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा पुष्टि) है।
- किसान प्रति वर्ष ~140 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ~114 tCO₂e का जीएचजी उत्सर्जन होता है³⁵। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों जैसे अन्य रासायनिक उत्पादों पर भी निर्भर हैं। अजीतपुर में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- एचआरवीसीए के अनुसार, ओलावृष्टि और शीत लहरों की लगातार घटनाओं से पशुधन उत्पादकता प्रभावित होती है।
- पशुपालन करने वाले परिवारों में सतत खाद प्रबंधन प्रथाओं का अभाव है।

उपर्युक्त बिंदु अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

34 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

35 मोरादाबाद और शाहजहांपुर, जो अजीतपुर के नजदीकी जिले हैं, से खाद की खपत के आंकड़ों को लेकर खाद के उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया है



कृषि के लिए सूखा प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों से मेड़बंधी 2. कृषि तालाबों का निर्माण 3. धान की सूखा सहने वाली किस्मों को अपनाना और फसल की पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्यक्ष बीजित चावल की खेती 4. फसलों में आवश्यकता आधारित पोषक तत्व प्रबंधन (जैसे जैविक पुनर्चक्रण, पत्तियों पर छिड़काव के लिए पोषक तत्व, आदि)³⁶ 5. सिंचित क्षेत्रों से वाष्पीकरण के नुकसान को कम करने के लिए मल्लिचिंग का उपयोग 6. किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मेड़बंधी का विस्तार करना 2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण तथा मौजूदा कृषि तालाबों का नियमित रखरखाव 3. जागरूकता बढ़ाने की पहल जारी तथा किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने में सहायता 	मौजूदा मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. 64 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी (कुल कृषि भूमि का 50%) 2. 5-10 कृषि तालाबों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. सभी कृषि भूमि 64 हेक्टेयर (100% कवरेज) पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी 2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण और मौजूदा कृषि तालाबों का रखरखाव 	मौजूदा मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 1. मेड़बंधी: ₹84,825 2. कृषि तालाब: ₹39,92,695- ₹44,42,695 <p>कुल लागत: ₹40,77,520 -₹45,27,520</p>	<p>मेड़बंधी पर लागत: ₹84,825</p> <p>कुल लागत: ₹84,825</p>	आवश्यकतानुसार

36 सूखा मैनुअल (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जैविक खाद, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना <ul style="list-style-type: none"> » प्रशिक्षण और प्रदर्शन » प्राकृतिक/जैविक खेती प्रमाणन की शुरुआत » बाजार तक पहुंच और संपर्कों की खोज वाष्पीकरण को कम करके और नमी बनाए रखने एवं मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिंघ, जीरो टिलेज जैसी विविध फसल प्रणालियों को बढ़ावा देना 	<ol style="list-style-type: none"> कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना जारी रखना (नर्सरी बीज बैंक प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना) चरण I में कार्यान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना 	कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने का 100% विस्तार
लक्ष्य	19 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	51 हेक्टेयर (अतिरिक्त 40% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	58 हेक्टेयर (100% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹46,94,900 कुल लागत: ₹47,54,900	<ol style="list-style-type: none"> प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹1,26,02,100 कुल लागत: ₹1,26,62,100	<ol style="list-style-type: none"> प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹1,43,31,800 कुल लागत: ₹1,43,91,800



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण 2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना <p>पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग " विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूचि " देखें</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार 2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार 2. आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना
	<ol style="list-style-type: none"> 1. पशुपालन में लगे परिवारों के लिए सतत पशुपालन क्रियाएँ, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना 2. पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण³⁷ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन क्रियाएँ पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन क्रियाएँ पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना 2. पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

37 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ०प्र० बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- स्थापना एवं संचालन ("स्वच्छ, सतत, किफायती एवं विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) » कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, अजीतपुर में सतत कृषि में संलग्न किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, रामपुर

5

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच



संदर्भ एवं मुद्दे³⁸

- अजीतपुर ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 में लगभग 2,44,025 यूनिट (kWh) बिजली की खपत की गई। ग्राम पंचायत के लगभग 90% घरों में बिजली कनेक्शन हैं। समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार, बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में औसतन हर दिन कम से कम 1 घंटे बिजली की कटौती होती है।
- बिजली कटौती के कारण, ग्राम पंचायत में बिजली बैक-अप के लिए 60 डीजल जनरेटर हैं और वे सालाना लगभग ~16 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- सिंचाई के लिए 50 डीजल पंप का उपयोग किया जाता है जो सालाना लगभग 19.5 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में कम दक्षता वाले विद्युत फिक्सचर और उपकरण उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (50 स्ट्रीट लाइट) की आवश्यकता महसूस की गई है।³⁹
- लगभग 517 घरों में खाना पकाने के लिए गाय के गोबर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन समाधानों की आवश्यकता है, जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि घर के अंदर हवा की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।

ग्राम पंचायत की पहचान की गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, आदि के संयोजन में, अजीतपुर में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

38 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों से इसकी पुष्टि की गई

39 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना ⁴⁰ (आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्र)	1. पक्के मकानों की छतों पर सौर पैनल लगाना 2. सभी नये भवनों की छतों पर सौर पैनल लगाना (चरण II के दौरान निर्मित)	1. पक्के घरों की छतों पर सौर पैनलों की स्थापना का विस्तार 2. सभी नई भवनों (चरण III के दौरान निर्मित) की छतों पर सौर पैनलों की स्थापना 3. सौर छतों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य ⁴¹	सोलर रूफटॉप स्थापित करना: » आंगनवाड़ी केंद्र: (82 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp » स्वास्थ्य उप-केंद्र (124 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp इस चरण में स्थापित कुल सौर छत क्षमता: 20 kWp बिजली उत्पादन: 26,784 kWp प्रति वर्ष (~73.3 यूनिट प्रति दिन) जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: 22 tCO ₂ e प्रति वर्ष हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अति आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मद्देनजर, कुछ परिवार भी छतों पर सौर पीवी स्थापना के इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं।	50% पक्के घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित	शेष 50% पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹10,00,000	लागत (प्रति किलोवाट): ₹50,000 सांकेतिक सब्सिडी ⁴² : ~40% (राज्य + सीएफए)	लागत (प्रति किलोवाट): ₹50,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए)

40 पंचायत भवन और कम्पोजिट स्कूल पर सोलर पैनल पहले से ही लगाए जा चुके हैं

41 पंचायती राज संस्थाओं के भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना की क्षमता 10 किलोवाट प्रति घंटा तक सीमित

42 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।



कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों, महिला समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टेइक स्थापित (बागवानी और फलीदार फसलों के अंतर्गत)	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टेइक स्थापित (बागवानी और फलीदार फसलों के अंतर्गत)
लक्ष्य	किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और अभिविन्यास सत्र आयोजित करना	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टेइक की स्थापना स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWp प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टेइक की स्थापना स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष
अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	कुल लागत: ₹5 करोड़ ⁴³	कुल लागत: ₹5 करोड़



सौर पंप

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में मौजूदा 25 डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से प्रतिस्थापित करना * यदि सौर पंप व्यवहार्य न हों तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।	ग्राम पंचायत में शेष 25 डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से प्रतिस्थापित करना	सभी नए पंपों के उपयोग/खरीद को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना

43 प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण कृषि-फोटोवोल्टिक्स की लागत में कमी आ रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि किसान बागवानी और उस तरह की फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, कृषि-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना के लिए बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि के एक प्रतिशत पर ही विचार किया गया है

लक्ष्य

25 डीजल पंपों को सौर पम्पों से बदलना
स्थापित क्षमता: ~137.5 kW
बिजली उत्पादन क्षमता: 1,84,140 kWh प्रति वर्ष
जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: 26.2 tCO₂e प्रति वर्ष

25 डीजल पंपों को सौर पम्पों से बदलना
स्थापित क्षमता: ~137.5 kW
बिजली उत्पादन क्षमता: 1,84,140 kWh प्रति वर्ष
जीएचजी उत्सर्जन से बचाव⁴⁴: 26.2 tCO₂e प्रति वर्ष

आवश्यकतानुसार

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹75,00,000
-₹1,25,00,000
सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)
प्रभावी लागत: ₹30,00,000-
₹50,00,000

कुल लागत: ₹75,00,000
-₹1,25,00,000
सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)
प्रभावी लागत: ₹30,00,000-
₹50,00,000

आवश्यकतानुसार



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी
परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी	परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी	परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी	परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी
परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी	परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी	परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी	परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी
सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं।	सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं।	सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं।	सभी नए घरेलू निर्माणों में उन्नत चूल्हे/सौर ऊर्जा चालित चूल्हे और/या घरेलू बायोगैस संयंत्र शामिल हैं।

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

44 बचाए गए उत्सर्जन से जीपी को कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी

लक्ष्य

परिदृश्य 1: 27 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (25% परिवारों के पास मवेशी हैं)

परिदृश्य 2: शीर्ष आय समूहों में 25% परिवारों के पास सौर इंडक्शन कुकस्टोव हैं

परिदृश्य 3: 689 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (25% परिवार वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)

जीपी में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है

परिदृश्य 1: 28 और घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (अतिरिक्त 25% घर)

परिदृश्य 2: शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 25% घर द्वारा सौर इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग

परिदृश्य 3: 689 और घर उन्नत चूल्हे का उपयोग (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले घरों का अतिरिक्त 25%)

जीपी में शेष घरों में एलपीजी का उपयोग भी शामिल है

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 55 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (100% परिवारों में मवेशी हैं)

परिदृश्य 2: शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग

परिदृश्य 3: 1,379 और परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (शीर्ष वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले अतिरिक्त 50% घर)

जीपी में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है

अनुमानित लागत

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹13,50,000

परिदृश्य 2: 1 सौर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹45,000

परिदृश्य 3: ₹20,67,000

औसत कुल लागत: ₹11,54,000

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹14,00,000

परिदृश्य 2: 1 सौर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹45,000

परिदृश्य 3: ₹20,67,000

औसत कुल लागत: ₹11,70,666

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹27,50,000

परिदृश्य 2: 1 सौर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹45,000

परिदृश्य 3: ₹41,37,000

औसत कुल लागत: ₹23,10,666



ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. सभी पीआरआई इमारतों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदलना
2. जीपी के प्रत्येक घर में कम से कम 1 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब और/या एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना।
3. निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना



2024-25 से 2026-27

1. सीएफएल बल्बों की जगह एलईडी बल्बों का इस्तेमाल बढ़ाना
2. घरों में पारंपरिक पंखों की जगह ऊर्जा कुशल पंखे लगाना
3. निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना

2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

घरों में पारंपरिक पंखों के स्थान पर ऊर्जा कुशल पंखों का उपयोग बढ़ाना

लक्ष्य

1. सभी पंचायती राज संस्थाओं/ सरकारी भवनों में मौजूदा बल्बों को 100% एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना
2. सभी घरों में मौजूदा 3447 सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलना (प्रत्येक परिवार के लिए 1) और 3447 ट्यूबलाइटों को एलईडी ट्यूबलाइटों से बदलना (प्रत्येक परिवार के लिए 1)

1. कम से कम 3,447 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदलना (प्रत्येक घर में 1)
2. सभी घरों में 3,447 ऊर्जा कुशल पंखे बदलना (प्रत्येक घर में 1)

शेष 3,447 ऊर्जा कुशल पंखों को बदलना (प्रति घर 1)

अनुमानित लागत

3,447 एलईडी बल्ब की लागत: ₹2,41,290
3,447 एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹7,58,340
कुल लागत: ₹9,99,630

3,447 एलईडी बल्बों की लागत: ₹2,41,290
3,447 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹38,26,170
कुल लागत: ₹40,67,460

3,447 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹38,26,170
कुल लागत: ₹38,26,170



सोलर स्ट्रीट लाइट⁴⁵

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
1. सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित	1. नई सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना	1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों को सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में परिवर्तित किया जाना	
2. सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों पर हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित	2. अधिक उच्च-मस्तूल सौर एलईडी की स्थापना	2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट को हाई-मास्ट सोलर एलईडी में परिवर्तित किया जाना	
	3. मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और मरम्मत		

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

45 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर।

लक्ष्य

1. 25 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना
2. आवश्यकतानुसार हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना

1. 25 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना
2. आवश्यकतानुसार हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना

1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों को सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में परिवर्तित किया जाएगा
2. आवश्यकतानुसार अधिक हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें

अनुमानित लागत

25 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट की
स्थापना: ₹2,50,000
कुल लागत: ₹2,50,000

25 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट की
स्थापना: ₹2,50,000
कुल लागत: ₹2,50,000

आवश्यकतानुसार

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁴⁶ प्रदान करती है:
 - » आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक।
 - » संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को मोड⁴⁷ में संस्थानों में सौर स्थापना का प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता:
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40% का केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)। केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20% तक सीमित होगी।
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20% तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए हेतु सीएफए के लिए पात्र क्षमता 10 किलोवाट प्रति घर तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर⁴⁸: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत की जा सकती है। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात् 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।

46 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पॉलिसी_2022.pdf

47 तृतीय पक्ष (आरईएससीओ मोड) (अक्षय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

48 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

- पीएम कुसुम योजना प्रदान करती है:
 - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।
- उ०प्र० सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:
 - » घटक सी-1 के अंतर्गत : किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक सी-2 के अंतर्गत : एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁴⁹:
 - » ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- ग्राम उजाला योजना⁵⁰ :
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध है।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकंडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए सब्सिडी:
 - » परियोजना लागत के 35% की क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है।
 - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से एक योजना लागू कर रहा है।
 - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।⁵¹ गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिंग धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।⁵²

49 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। लिंक

50 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे (फरवरी 2023), पीआईबी। लिंक

51 जैसे कि फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र में ब्लास्ट फ्रीजिंग और रीफर वैन, मोबाइल कूलिंग यूनिट

52 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

- » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁵³ सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है :
 - » कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट।
 - » 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट।
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 घन मीटर/दिन है।⁵⁴
- पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उन घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो सौर छत स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं⁵⁵।

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना।
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि का उपयोग किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/ सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - » रूफटॉप सोलर (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सोलर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करना

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

53 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

54 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

55 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

6

सतत और उन्नत गतिशीलता



संदर्भ एवं मुद्दे⁵⁶

- अजीतपुर में कुल 2,349 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 2,068 दोपहिया वाहन, 200 कारें, 1 जीप, 15 ऑटो, 45 टाटा मैजिक ट्रक और 20 ट्रैक्टर। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 200 ई-रिक्शा हैं।
- आईसीई वाहनों द्वारा प्रति वर्ष कुल ईंधन की खपत ~570 किलो लीटर (किलोलीटर) डीजल और ~459 किलोलीटर पेट्रोल है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन से ~1,979 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है।

इसलिए, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर संक्रमण शुरू करने की महत्वपूर्ण गुंजाइश है।



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में ऑटो-रिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा लाना	अतिरिक्त ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा खरीद

56 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

लक्ष्य

10 ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना

5 ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना

अनुमानित लागत

एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत लगभग⁵⁷ : ₹3,00,000

प्रति वाहन ₹12,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध

प्रभावी लागत: ₹28,80,000

जीएचजी उत्सर्जन में कमी⁵⁸ : 30 tCO₂e

प्रभावी लागत: ₹28,80,000

जीएचजी उत्सर्जन में कमी: 15 tCO₂e

आवश्यकतानुसार



ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर⁵⁹

चरण



2024-25 से 2026-27

1. उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाकर डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना
2. ई-माल वाहकों और ई-ट्रैक्टरों को किराये पर लेने की सुविधा स्थापित करना



2027-28 से 2029-30

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना



2030-31 से 2034-35

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

57 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 से लेकर ₹4,00,000 तक होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार और अन्य चीजों पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य वित्तपोषण एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को ध्यान में रखते हुए।

58 3 tCO₂e प्रति ऑटो होने का अनुमान है। डीजल ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलने से यह उत्सर्जन कम होगा और जीपी को कार्बन न्यूट्रल या यहां तक कि कार्बन नेगेटिव बनाने में योगदान मिलेगा।

59 अधिक जानकारी आजीविका संवर्धन एवं हरित उद्यमिता अनुभाग में पाई जा सकती है

लक्ष्य

कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदना

नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार

नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार

अनुमानित लागत

1. 5 ई-ट्रैक्टर का लागत :
₹30,00,000
2. 5 ई-माल वाहक का लागत :
₹25,00,000 – ₹50,00,000
कुल लागत: ₹55,00,000–
₹80,00,000

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 द्वारा निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है:
 - खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)।
 - 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी⁶⁰ - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 10% @; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रेसोर्स एनवलप और स्वयं की आय (OSR)
- सीएसआर समर्थन के साथ बैंकों और माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)

60 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, लाभार्थियों की संख्या और मात्रा दोनों के संदर्भ में समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए, इस योजना के किसी भी भाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

7

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



गैर-कृषि मजदूरी और कला/हस्तशिल्प ग्राम पंचायत में रोजगार के प्राथमिक स्रोत हैं, जबकि कृषि और पशुपालन कार्यबल का केवल 11% योगदान देते हैं। ग्राम पंचायत में और उसके आसपास कई उद्योगों (रसायन, थर्मोकॉल निर्माण, पापड़ निर्माण आदि) की मौजूदगी के कारण लगभग 410 परिवार इस ग्राम पंचायत से पलायन कर गए हैं। हालांकि, लगातार सूखा, जलवायु परिवर्तन और कृषि और पशुपालन में असंवहनीय प्रथाओं की वजह से आजीविका असुरक्षित हो गई है। इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है।

वर्तमान में, ग्राम पंचायत के भीतर उल्लिखित गतिविधियों से परे आजीविका के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित गतिविधियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्लास्टिक के विकल्प वाली सामग्रियों (बैग, घर की सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) से उत्पादों के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को कार्य में लगाना
2. इसके लिए क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

निम्न का प्रारंभिक जुड़ाव:

- 100 महिलाएँ
- 11 स्वयं सहायता समूह (वर्तमान में सिलाई और सामुदायिक शौचालय रखरखाव गतिविधियों में शामिल)
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग

इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- अतिरिक्त 200 महिलाएँ
- अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
 - » खाद और वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य:**
 - » घरेलू अपशिष्ट (जैविक) से उत्पादित खाद/केंचुआ खाद: 578 किग्रा प्रतिदिन; 17,345 किग्रा प्रतिमाह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)
2. **दीर्घकालिक लक्ष्य:**
 - » जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/ वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को वाणिज्यिक किराए पर लेने की सुविधा (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य**
 - » 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
 - » 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)
2. **मध्यावधि लक्ष्य**
 - 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर उत्पन्न करना
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (मीट्रिक टन क्षमता सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर)

लागत: ₹8 से ₹15 लाख



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी करना

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि पर आरोग्य वन स्थापित



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&M)

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों को नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सौर और बायो-गैस स्थापना और ओ एंड एम व्यवसायों की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकार की सीएसआर, अपस्किनिंग योजनाओं से समर्थन

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को हरित उद्यमिता और आजीविका (विभिन्न ऋण योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से) का समर्थन करने के लिए संवेदनशील बनाना; मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना जैसी सरकारी ऋण योजनाएं महिला उद्यमियों का समर्थन करती हैं।
- मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल नवाचार मिशन जैसी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन करके आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 61,62,63

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

61 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

62 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

63 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁶⁴, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁶⁵:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁶⁶:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

64 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

65 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

66 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब^{67,68}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁶⁹

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु आवास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁷⁰" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशित द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁷¹

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग से जुड़ी है।

67 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

68 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

69 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

70 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspcc>

71 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁷²।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोकलाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में⁷³

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

72 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

73 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁷⁴

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्पिफिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁷⁵

स्वयं शिक्षान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

74 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

75 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁷⁶

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:




आंध्र प्रदेश राज्य में⁷⁷

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

76 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

77 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁷⁸
क. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5
ख. जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण 		एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4
ग. जल निकासी और सीवेज बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 		एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
		एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2
		एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5



78 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन




सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव कम हुआ जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
<p>ख. बेहतर स्वच्छता प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>ग. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट 	<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1



हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना




सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित आवरण में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9    
<p>ख. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 		

सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁷⁹
क. कृषि के लिए सूखा प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार 	एसडीजी 2: शून्य भूख <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए ; अनुच्छेद 10.3.ई
ख. प्राकृतिक खेती अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1
ग. सतत पशुधन प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3








स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. सोलर रूफटॉप स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण से राहत आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 6.4
ख. कृषि-फोटोवोल्टिक 	<ul style="list-style-type: none"> उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट 	एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.ए लक्ष्य 7.बी
ग. सौर पंप 		6 CLEAN WATER AND SANITATION 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



79 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 	<ul style="list-style-type: none"> पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3  
<p>ङ. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 		
<p>च. सोलर स्ट्रीट लाइट</p> 		

समतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार 	<p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3    
<p>ग. ई-वाहनों और ई-ट्रेक्टर</p> 		

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन आजीविका के उन्नत विकल्प 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	   
<p>च. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&M)</p> 		

कार्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशांसाओं से अजीतपुर के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। अजीतपुर के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर अजीतपुर को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, अजीतपुर जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही अजीतपुरको एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁸⁰। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

अजीतपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁸¹ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि

80 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

81 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » अजीतपुर ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत :

विकासखण्ड :

जनपद :

अजीतपुर

चमरौआ

रामपुर

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1 अजीतपुर
2	टोलों की संख्या	0
3	a कुल जनसंख्या	24,922
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	13268
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	11654
	d विकलांगजन की जनसंख्या	122
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	5155
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	526
4	कुल परिवार की संख्या	3447 परिवार
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	120
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	380.614 है.
6	A साक्षरता दर	55%
7	a पक्का घरों की संख्या	3265
	b कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	172 – – टीन के घर 80 – पिन्नी 37 – मिट्टी वाली 45 – छप्पर 10





II. सामाजिक आर्थिक


8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	85	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	48	
	अनुबंध खेती	0	
	दिहाड़ी मजदूर	96	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	46	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	0	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	98	
	कुटीर उद्योग	512	आटा चक्की, तेल कोल्हू, दोना पत्तल, कारपेन्टर, मिट्टी के बर्तन, दरी
	कृषि	275	
	कला/हस्तकला	1010	राजमिस्त्री, बालपुट्टी मिस्त्री, बुनाई, कढ़ाई, दर्जी, पंतग बनाना
	पशुपालन	105	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	255	
	व्यवसाय/उद्यम	0	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	1192	
	अन्य	0	
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/व्यक्तिगत की संख्या	
	अन्य गांव	0	
	निकट के शहर	0	
	राज्य के प्रमुख शहर	0	
	देश के प्रमुख महानगर	0	
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





d	पिछले पांच वर्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	410 जिला मुख्यालय के पास होने के कारण रोजगार के अवसर अधिक है। अर्द्धनगरीय क्षेत्र है। इसलिये पड़ोसी ग्राम पंचायतों से प्लाट लेकर मकान बनाकर रहने लगे।
---	--	---

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	435
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	18
	किराएकी भूमि/हुण्डा	0
	अनुबंध खेती	0
	दिहाड़ी मजदूर	115
	अन्य व्यवस्था	284 कुकिंग, सफाई कार्य, कढ़ाई, दरी, घर पर दुकान, पंतग बनाना, बीडी बनाना
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	0
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	52
	कुटीर उद्योग	109 दोना पत्तल, दरी बनाना, जरदोजी, बकरी पालन, पंतग बनाना, बीडी बनाना
	कृषि	18
	कला/हस्तकला	198 दरी कालीन, कढ़ाई, बुनाई, पंतग बनाना, जरदोजी
	पशुपालन	18 गाय, भैंस, बकरी पालन
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	12
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	28 मनरेगा जॉब कार्ड
	अन्य	0





12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	Avani SHG	10	NA	4800	Yes
2	Vismila Mahila SHG	10	NA	12000	Yes/70,000
3	Bannesh SHG	10	जरी, स्कूली बच्चों की ड्रेस	6000/1,50,000	No
4	Ram Raheem SHG	10	जरी	4800/3,24,000	Yes/1,00,000
5	Rani Lakshmi Bai SHG	11	सब्जी का कार्य	5280/36,000	Yes/1,00,000
6	Sahara SHG	12	NA	5760	Yes
7	Sainik SHG	10	NA	4800	Yes
8	Sitara SHG	10	NA	4800	Yes

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) NA						
एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र	
NIL	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	
NIL	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	
NIL	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	
NIL	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	
NIL	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	

14 अन्य समुदाय आधारितसंगठन/						
	सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन/समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	उत्पाद/सेवा	विपणन/लक्षित उपभोगकर्ता
1	Pradhan Jan Sewa Samiti	No <input type="checkbox"/>	15	NA	0	0
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				





		<input type="checkbox"/>				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

15	योजनाएं					
a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ/कार्य
	मनरेगा	65	65	35265	290	कच्चा कार्य व पक्का कार्य
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/एन.एफ.एस.ए.	2877	2877			राशन वितरण
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	615	615			गैस चूल्हा वितरण
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	NA				पाइप वितरण
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	NA				
b	अन्य योजनाएं					
	ग्राम उज्जवला योजना	NA				
	ऊर्जा दक्षता योजना	NA				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	NA				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	2	2	278340	0	
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीओडीओएसओ)	2877	2877			704.9 कु०
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	NA				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	NA				
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	NA				
	मौसम आधारित फसल बीमा	NA				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	NA				
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	NA				
	किसान क्रेडिट कार्ड	82	82			





	स्वच्छ भारत मिशन	1061	1061	1,27,32000		
	सौर सिंचाई पम्प योजना	02	02			
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	NA				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	NA				
	गोवर्धन योजना	NA				
	जल पुनर्भरण योजना	NA				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	03		2,40,000		प्राइमरी विद्यालय, जूनियर विद्यालय, पंचायत भवन
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	NA				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	05		40,000		प्राइमरी विद्यालय, जूनियर विद्यालय, सोसाइटी, पुलिस चौकी, दादा मियों का कब्रिस्तान
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	NA				
	उद्यमिता सहायित योजनाएं आदि	NA				

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	5500
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	2100

8	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है	यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>				
4	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	470 कु0 गेहू, धान, खाद्य,	210 कु0	5 कि0मी0





					बीज		
2	सप्ताहिक बाजार	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		250 कु0 गेंहूँ, धान, सब्जी	200 कु0	1 कि0मी0
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19 शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)						
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
a	प्राथमिक विद्यालय	3262	308	0	—	
	ऑफिस	0	0	0	—	
	रसोईया	0	0	0	—	
b	जू0 हाई स्कूल	1827	122	0	—	
c	हाई स्कूल	NA	—	—	—	
d	अन्य संस्थान					
	चन्द्रावती जू0हाई स्कूल	960	180	0	—	



	दयामोहन जू0हाई स्कूल	600	300	0	—
	राजीवमोहन जू0हाई स्कूल	360	70	0	—
	एम आई पब्लिक स्कूल	840	400	0	—
	राम नारायण पब्लिक स्कूल	480	150	0	—

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	NA				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
1	राष्ट्रीय राजमार्ग 9	2	1 KM.	1





III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	NA
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	NA
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	NA
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	NA
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	NA
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	NA

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	1 हे०		
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	NA		
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	NA		
	अतिरिक्त सूचनाएं	NA		

24	जल निकाय क्षेत्र	हां	नहीं
	विवरण		
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	1	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	NA	
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	NA	






25		जल आपूर्ति
a	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3)✓ तालाब / झील-(4) अन्य- (5)✓	3 5. Water tank connection
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1)✓ ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3)✓ महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5)✓ ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7)✓ अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	1 3 5 7
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	2585
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	सन्तोषजनक
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे (1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	0
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?	



	नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3 A), कूआ (3B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	2 3A पम्पसेट
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	सन्तोषजनक
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	हाँ घटी हैं। हाँ





IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माह में देखा गया	तापमान बढ़ा, वर्षा में कमी		
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	30		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	गर्मी के दिनों में लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु इस वर्ष अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक गर्मी नहीं पडी।		
27				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	25दिन		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)			
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	28		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)			
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	5-10		



d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	दिनों की संख्या		5-10	
f	अन्य सूचनाएँ/जानकारी			





चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		√□	√□	√□	√□	√□
b	किस माह में सूखा देखा गया	July -Aug.	June-July	Aug.	Sep.	July
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन कोई नहीं।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन निजी नलकूपों के द्वारा।	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		√□	□	□		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	0				
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना Nil	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		□	□	□	□	□
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	0	0	0	0	0
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन 0			कृषि स्तर पर प्रबन्धन 0	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		□	□	√□		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	1. सन् 1993 में जल निकासी के लिए नाली नालाओं की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण यहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ से 2 कच्चे मकान भी गिर गये थे। 2. बाढ़ का गन्दा पानी आने की वजह से पीने का पानी दूषित हो गया, जिससे डायरिया, पिलिया व पेट के रोगों ने पूरे गाँव को प्रभावित किया। 1993 से अब तक कोई बाढ़ नहीं आई।				
32 भूस्खलन						



a	भूस्खलन की घटना— नहीं	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	0	0	0	0	0
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन 0			कृषि स्तर पर प्रबन्धन 0	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना—1, स्वास्थ्य पर प्रभाव—2					
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		√ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	√ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	√ <input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	Aug.		July.		Dec.
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन 0 सुरक्षित स्थान ढूँढ कर स्वयं को बचाते हैं। जानवरों को छत के नीचे कर लेते हैं।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन नहीं।	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	√ <input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		√	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	√
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	July	May/June			July





c	किस प्रकार के कीट/बीमारी को देखा गया?	सूड़ी टिड्डा, माहू, रसचूसक की	झुलसा,तेला			झुलसा, सूड़ी
d	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	निजी सहायता— स्वयं से बाजार से कीट नाशक दवाईओं को लेकर फसलों में प्रयोग कर कीट बिमारी का समाधान करते हैं।				
e	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	धान की फसल में अधिक बीमारी आती है				

35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी				
	ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?	क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?		
आपदा तैयारी के उपाय	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
अन्य	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36 अनाज भण्डारण	
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?
	अनाज (विवरण दें)
	नहीं
	तेल
	नहीं
	चीनी
	नहीं
	अन्य खाद्य पदार्थ –उल्लेख करें
	आँटा, नमक, आलू, अन्य खाद्य सामग्री





b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	0
---	---	---

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषि अधिकारी	—
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	—
	मोबाईल फोन/एप	—
	मौखिक	√
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	—
	पशुपालन विभाग	
	उद्यान विभाग	
	अन्य	

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, टण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)	रबी 2	गेंहू	वर्षा,ओला से	300	750000
	द्वितीय वर्ष (2021)	रबी 2	गेंहू	वर्षा, ओला से	500	1250000
	तृतीय वर्ष (2020)		धान 1	ओलावृष्टि	360	720000
	चतुर्थ वर्ष (2019)		धान 1	ओलावृष्टि	360	720000
	पंचवां वर्ष (2018)		धान 1	ओलावृष्टि	360	720000
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल)	बीमा नहीं कराया गया।				





	<p>बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि)</p> <p>फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?</p>					
--	--	--	--	--	--	--





39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ धान	रबी गेहूँ, सरसों, आलू	जायद / अन्य ऋतु	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है / देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	जुलाई	परिवर्तन हुआ है	अगस्त	वर्षा में परिवर्तन हुआ है
	गेहूँ	अक्टूबर, नवम्बर	परिवर्तन हुआ है	अक्टूबर-जनवरी	वर्षा में परिवर्तन हुआ है
	सरसों	अक्टूबर	परिवर्तन हुआ है	अक्टूबर	वर्षा में परिवर्तन हुआ है
	आलू	अक्टूबर	परिवर्तन हुआ है	अक्टूबर	वर्षा में परिवर्तन हुआ है
c	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	गन्ना नहीं होता			

40 सिंचाई प्रणाली / पद्धति में परिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4),	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि / पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)





		पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)				
	गेहूं	पम्पसेट-6	4800 / हे0	वर्षा आधारित-4 एक ट्यूबल-6		2400रु
	धान	पम्पसेट-6		वर्षा आधारित-4 एक ट्यूबल-6		3600रु
	सरसों	पम्पसेट- 6	800रु	वर्षा आधारित-4 एक ट्यूबल-6		600रु
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		50	0	1		0
c	अन्य सूचनाएं/ जानकारी अगर कोई है					
41 पशु पालन/पशुधन						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी :					
	डेयरी (1)		1			
	मुर्गी पालन (2)					
	मत्स्य पालन (3)		3			
	सूअर पालन (4)		4			
	मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)					
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	1 2	21	लम्पी	गर्मी	2
	द्वितीय वर्ष(2021)	1 2	4	लम्पी	गर्मी	3
	तृतीय वर्ष (2020)	1 2	2	गला घोटू	बरसात	3
	चतुर्थ वर्ष(2019)	1 2	7	गला घोटू	बरसात	2
	पंचम वर्ष(2018))	1 3	7	गला घोटू	बरसात	3



	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव- नही	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येकपक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	नही				
	द्वितीय वर्ष(2021)	नही				
	तृतीय वर्ष (2020)	नही				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	नही				
	पंचम वर्ष(2018))	नही				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	नही				
	द्वितीय वर्ष(2021)	नही				
	तृतीय वर्ष (2020)	नही				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	नही				
	पंचम वर्ष(2018)	नही				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं					





V. कृषि व पशुपालन

प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनारं/जानकारी										
42 a	उर्वरक उपयोग				कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी		
	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु / मीस	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार
	गहूँ, सरसों, धान, उर्द, मटर आलू	Oct Sep Oct Nov.	22 कु0 प्रति एकड़ 7 कु0 प्रति एकड़ 22 कु0 प्रति एकड़ .3 कु0 प्रति एकड़ 10 कु0 प्रति एकड़ 170 कु0 प्रति एकड़	DAP NPK NITROJAN ZINK Potash Phosphorus	50kg. 50 Kg. 45 Kg. 5Kg. 25Kg. 10Kg.	1	क्लोरोसाइबर फिफरोनिल कार्टाएप थाईमोकरन	500ML 10Kg. 8Kg. 150G.	1	सल्फोसलफ्यू रान, क्लोडिना पेन्डमाइथिन प्रेटिलाक्लोर
	b क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष	हां <input checked="" type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक है?				



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां नहीं

फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0 / कुन्सल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित
नहीं				
नहीं				
नहीं				
नहीं				
नहीं				
नहीं				

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती) नहीं

फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
नहीं			
नहीं			
नहीं			
नहीं			
नहीं			



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां									
पौध रोपण गतिविधियों/क्षेत्रफल के प्रकार	आच्छादित स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)– उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजाति यां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी(2)प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)– उल्लेख करें
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां नहीं

फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रु०/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित
नहीं				
नहीं				
नहीं				
नहीं				
नहीं				
नहीं				

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती) नहीं

फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्विंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलों, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
नहीं			
नहीं			
नहीं			
नहीं			
नहीं			



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां									
पौध रोपण गतिविधियों/क्षेत्रफल के प्रकार	आच्छादित स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)– उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजाति यां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी(2)प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)– उल्लेख करें
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								
	नहीं								




46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त / उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रतिमाह / बेचते पर)	
गाय (देशी नस्ल)	35	सूखा व हरा चारा, पशु आहार, खुले में चराई	2,400	
गाय (संकर नस्ल)	15	सूखा व हरा चारा, पशु आहार, खुले में चराई	8,400	
भैंस (देशी नस्ल)	295	सूखा व हरा चारा, पशु आहार, खुले में चराई	2,800	
भैंस (संकर नस्ल)	105	सूखा व हरा चारा, पशु आहार, खुले में चराई	12,000	
बकरी	410	सूखा व हरा चारा, पशु आहार, खुले में चराई	3600 बेचने पर	
सुअर	50	सूखा व हरा चारा, पशु आहार, खुले में चराई	10,000 बेचने पर	
मुर्गी	0		0	
मत्स्य	0		0	
अन्य	0		0	

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या हैं?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	साफ
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

कोई नहीं





d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	सब्जी के छिलके, चाय की पत्ति, जानवरों की हड्डी	2 किलो				
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	घूरे पर					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input checked="" type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हां	नहीं	हर दूसरे माह पर			
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति	5 किलो मी.	राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के किनारे	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कुछ लोग घूरे पर फेंकते हैं। तो कुछ लोग डस्टबिन में रखते हैं।





49 खुले में शौच मुक्त स्थिति				
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं	
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2386 परिवार
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>	प्रमुख स्थान –सोसाइटी, टंकी के पास, पुलिस चौकी
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ		
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)			

सरकार द्वारा शौचालय –120

50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	150ली0 प्रति घर प्रति दिन	0	0		<input checked="" type="checkbox"/>
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	नहीं				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	नहीं				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	616
d	आंगनवाड़ी	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
e	आशा	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1200 लोग उपस्थित
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50 लोगों का चेकप





52 रोग/बीमारी									
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	13	0	7	6	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जिला स्तर
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाईड/हैपेटाइटिस आदि)	39	24	8	7	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जिला स्तर
c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	27	0	13	14	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जिला स्तर
d	कुपोषण	8	8	0	0	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	जिला स्तर

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	3000
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	10500
	ए0सी0	100
	एयर कुलर	2500
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	2600

54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	√ <input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	√दो से चार बार
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	1 घंटा
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	





55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव नहीं	<input checked="" type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	60
	सौर उर्जा	150
	इमरजेंसी लाईट	350
	इन्टवर्ट्स	2450
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	मोमबत्ती, दीपक

57	नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत			
	a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
		घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	50	25 किलोवाट
		विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	2	1 किलोवाट
		चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	0	
		ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	2	1 किलोवाट
		अन्य सौर उर्जा स्थापना	4	2 किलोवाट
		सौर स्ट्रीट लाईट	20	
		बायोगैस	नहीं	
		विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	नहीं	
	b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	हाँ	सिंचाई पम्प, बैंक द्वारा ऋण



अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना
ग्राम पंचायत - अजीतपुर
विकास खंड - रामपुर
जनपद - रामपुर



ग्राम पंचायत अजीतपुर

जलवायु परिवर्तनशीलता - प्रवृत्ति, मुख्य चुनौतियां एवं तनाव

रामपुर से शाहाबाद रोड पर 2 किलो मीटर चलते ही ग्राम पंचायत अजीतपुर जिला सहकारी बैंक से अजीतपुर ग्राम पंचायत शुरू होती है। ग्राम पंचायत में जाते ही देखा कि सभी लोग अपनी खुद की दुकानें चला रहे हैं। पूरा शहर जैसा माहौल है। यह सब देखते हुए सर्वप्रथम ग्राम प्रधान से मुलाकात की गई। सभी वार्ड मेम्बर, आशा, आंगनवाडी, एएनएम, पंचायत मित्र, ग्राम विकास अधिकारी से मुलाकात कर गाँव की रूपरेखा जानी।

ग्राम पंचायत अजीतपुर में कुल 3447 परिवारों में 24922 लोग रहते हैं, जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, पंजाबी, ईसाई वर्ग के लोग रहते हैं। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 380हे0 है। जिसमें से मात्र 18.7हे0 में ही फसलें उगाई जाती हैं। शेष भूमि पर आबादी अपना घर बनाकर रह रही है। 172 परिवार ही कच्चे मकानों में रह रहे हैं, शेष सभी के पक्के मकान हैं। गाँव की सड़के व नालियां आर सी सी व इण्टरलॉकिंग हैं। गाँव के बीचो-बीच पंचायत भवन है।

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता –प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/झटके एवं तनाव
ग्राम पंचायत अजीतपुर रामपुर से मात्र 2.5 किलो मीटर पर है। अजीतपुर के दक्षिण में बिल्कुल लगा हुआ नेशनल हाइवे 9 है और पूरब में रामपुर-शाहाबाद मार्ग है। रामपुर शाहाबाद मार्ग से किनारे-2 नाला है। जिसमें पूरी ग्राम पंचायत की पानी की निकासी होती है। यहाँ पर गाँव के दक्षिण में इन्ड्रस्ट्री भी है। जो कि थर्माकोल, पापे, कचरी, कैमिकल्स आदि की फैक्ट्री हैं। यहाँ से रोड के दोनों नालों का गन्दा पानी व फैक्ट्रियों का पानी एक बड़े गन्दे नाले का रूप ले लेता है और मडैया शादी, रायपुर, नयागाँव, बकेनिया सिकरोल, जोलपुर पटवाई होते हुये कोसी नदी में जाकर मिलता है। कोसी नदी अजीतपुर से 4.5 किलो मीटर पर है। पूरी ग्राम पंचायत में कोई तालाब नहीं है और न ही कोई बाग है। एक छोटा सा गढढा है, जो कि लगभग 60 गज का होगा।

गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 380.614 हे0 है। लेकिन कृषि मात्र 18.7 हे0 पर ही होती है। बाकी शेष भूमि पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या 24922 है। जिसमें पुरुष

13268 व
महिला
11654



ग्रामस्वराज्य मिशन आश्रम
ग्राम व पो०-बंगबहादुरगंज (बरसेरिया बाट)
जिला-मन्डीनपुर सीरी (उ.प्र.)-२६१५०५
Email: gramia111@gmail.com, gramia2008@yahoo.com
Mob. +91-9450376602, +91-8090304595

क्लाइमेट स्मार्ट – अजीतपुर(रामपुर) ग्राम पंचायत विकास योजना –वर्ष-2023-24 चरण 1

है। इस गाँव में कुल 3447 परिवार रहते हैं।

1-गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं उनका प्राथमिकीकरण

गांव के बुजुर्ग व व्यक्तियों, समुदाय के साथ उन आपदाओं पर विस्तार रूप से चर्चा किया गया, जिसमें उनकी दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता आदि प्रभावित होते हैं। चर्चा के आधार पर आपदाओं एवं समस्याओं के बारे में पता चला। इस गांव की मुख्य आपदा नाले का बेहद गन्दा पानी है, जिसमें स्वस्थ एवं पेयजल, साफ सफाई आदि में जोखिम की सम्भावना बढ़ जाती है।

आपदा का इतिहास एवं क्षति

आपदा का इतिहास समुदाय में चर्चा करके पता किया कि ग्राम पंचायत अजीतपुर में वर्ष 1993 में बाढ़ की सबसे बड़ी घटना हुई। गाँव के चारों तरफ लगभग 44 हैक्टियर खेती प्रभावित हुई। इसके बाद वर्ष 2018 में बरसात में नाले के पानी से लगभग 10 से 12 दुकानें प्रभावित हुईं। पिछले 10 वर्षों में पाला, गर्मी, लू की स्थिति समान रही।

आपदा का एतिहासिक मानचित्रण एवं मौसमी केलेण्डर बनाने के दौरान हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ है कि तापमान की स्थिति पिछले कई वर्षों से सामान्य नालों के पानी का जल जमाव इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है। जिससे गाँव में बच्चों, बूढ़ों के स्वास्थ्य को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मच्छरों द्वारा जल जनित रोग होता है। मक्खियों द्वारा भोजन दूषित होने के कारण बच्चों में डायरिया, बुखार, हैजा, दस्त जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर शीतलहर में मुख्यतः गाय पालन करने वाले लोग प्रभावित होते हैं। गायों की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर शीतलहर में वर्षवारी भी होती है।

विस्तृत विवरण हेतु [संलग्नक संख्या- 04 देखें।](#)

आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं ग्राम पंचायत अजीतपुर को प्रभावित करते हैं-

आपदा का नाम	जन०	फर०	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित०	अक्टू०	नव०	दिस०
जलजमाव												
सूखा												
लू												
शीतलहर												
औंधी तूफान												
ओला पत्थर												

2-जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन:

आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान, संभावित जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों, महिलाओं, पुरुष, दलित एवं वंचित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किये गये।

आपदाओं का ग्राम पंचायत अजीतपुर के पर्यावरण, बुनियादी एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानव जीवन के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड रहा है। जलजमाव, सूखा, शीतलहर एवं लू आदि पर आपदाओं का अजीतपुर ग्राम पंचायत के संदर्भ में विभिन्न दोषों पर इनके विभिन्न प्रकार से जोखिम की सम्भावना बनती है। इस गाँव के लोगों ने माना है कि उन्हें प्रतिवर्ष किस-किस तरह से नुकसान सहना पडता है, जो निम्न प्रकार हैं-

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं:

क्र. सं.	आसन्न आपदा/ खतरे	सम्भावित जोखिम क्षेत्र	सम्भावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1	जल जमाव	पेयजल	पीने वाला पानी दूषित होने के कारण पेट में होनी वाली बीमारियों का जोखिम	आधा अजीतपुर	1723 घर	58 उथले टिल्लू पम्प व हैण्डपम्प का जलस्तर दूषित
		स्वच्छता	कूड़े के साथ नालियों में पानी का ठहराव।	पूरा अजीतपुर	3447 घर	सडक इण्टर लॉकिंग
		स्वास्थ्य	डयरिया, बुखार मच्छरों द्वारा होना	आधा गाँव	1723 घर	18 से ज्यादा प्रभावित
		शिक्षा	जलजमाव के कारण बच्चों की उपस्थिति में कमी।	कुछ घर	500 घर	विद्यालय भवन एवं परिसर में शिक्षकों की कमी।
		सामाजिक सुरक्षा	वृद्धजन, बच्चे, विकलांग, महिलाओं का गिर जाना/घायल हो जाना	पूरा गाँव	3447 घर	सडक टूट जाना, आवागमन बाधित
		कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान, धान, बुआई में बिलम्ब और सूड़ी का प्रकोप	-	80 परिवार	1 एकड़ खेत में जल जमाव
		उद्यान/सब्जी उत्पादन	सब्जी फसल खराब हो जाना।	-	45 परिवार	1 एकड़ सब्जी
		पशुपालन	पशु उत्पाद में कमी की आशंका	-	15 परिवार	गाय, भैंस एवं बकरी पालन
		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	1223 जाँब कार्ड	-	-

		जल निकाय	जल निकायों में गंदा पानी भरना	आधा गाँव	1723 घर	1 एकड़ जल निकायों में गंदा पानी भरना
2	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना पेयजल की कमी	आधा गाँव	1723घर	27 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, 35 स्वयं के नलों का जलस्तर नीचे चला जाता है।
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	—	80 परिवार	15हे0 जमीन
		उद्यान/सब्जी उत्पादन	सिंचाई लागत अधिक	पूरा गाँव	...	5एकड़ सब्जी
		पशुपालन	जानवरो को चारा का संकट	हरा चारा सूख जाना
3	लू	स्वास्थ्य	मानव और पशुओ को लू लगना	पूरा गाँव	3447 घर	स्वास्थ्य सेवाओं में संकट,हरे चारे में परेशानी
		शिक्षा	बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित			शिक्षा प्रभावित
4	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरो को ठण्ड लगना ।	पूरा गाँव	3447 घर	शीतलहर के प्रकोप से बुजुर्ग लोगो के स्वास्थ्य में श्वास रोग का बढ़ जाना ।
		पशुपालन	पशु क्षति खेत में फसल का नुकसान			पशुओं की मृत्यु ।
5	ओला वृष्टि	मानव स्वास्थ्य एवं पेयजल	जानवरो का घायल होना			पन्नी के घरों का क्षतिग्रस्त होना ।

गाँव की स्थिति,नाजुक स्थान

अजीतपुर गाँव के लोगों के साथ भ्रमण करने के पश्चात् गाँव की स्थिति में नेशनल हाइवे 9 से जुड़ा हुआ है। इसमें इन्ड्रस्ट्री भी हैं। जिसमें थर्माकोल, बोतल की ढक्कन, पापड़, कचरी कैमिकल्स जिससे ग्रामिण के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। गाँव में पुलिसचौकी, पानी की टंकी, 4 बैंक हैं। गाँव के बीचों-बीच पंचायत भवन भी है। पूरी ग्राम पंचायत में 15 वार्ड मेम्बर है।

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव:

अजीतपुर ग्राम पंचायत के मुख्य साधन शहरी मजदूरी हैं। नालों में जलजमाव के कारण लोगों का बीमार होना लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करता है जिससे लोगों को आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 05 देखें।

3. नाजुकता विप्लेशणः

जल जमाव प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है और मच्छरों द्वारा मलेरिया, टाइफाइड जैसी बिमारियों का सामना करना पड़ता है। इसे जानने के लिए पुनः समुदाय आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि की मदद से नाजुक वर्ग, जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर गांव में नाजुक स्थल एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनकी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

❖ जल जमाव— अजीतपुर ग्राम पंचायत में नालों में कूड़े के साथ जल जमाव मुख्य समस्या है। ग्राम पंचायत में कई नाले हैं। नालों का पानी नगर पंचायत रामपुर होते हुये नई बस्ती से रोड के दोनो तरफ नाला है जो कि इन्डस्ट्रियल ऐरिया के गन्दे नाले से जुड जाता है। यह अजीतपुर ग्राम पंचायत से मडैया, शादी, रायपुर, नया गाँव, बकेनिया, सिफरोल, जोलपुर, पव्वाई गाँव से होते हुये कोशी नदी में जाकर के मिलता है। यह नाला मुख्य रूप से नगर पालिका से आता है।

➤ गाँव की मुख्य सडक जो कि जिला रामपुर से शाहाबाद के लिए जाती है जिसकी स्थित एक दम सही है। बरसात के मौसम में नालों में पानी का उफनाव नहीं होता क्योंकि नाले काफी गहरी हैं। इसलिए सडके सुरक्षित रहती हैं।

समुदाय पर जल जमाव का प्रभाव

➤ जल जमाव से अजीतपुर गांवके 113 घर प्रभावित होते हैं। घरों की दावारों में नींव में व फर्श पर शीलन रहती है।

➤ अजीतपुर का पूरा कचरा गाँव में जगह-जगह इकटठा होता है। जिससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से समुदाय प्रभावित रहता है।

➤ अजीतपुर गाँव की नालियों की समय पर सफाई न होने की वजह से बरसात के मौसम में गाँव की गलियों में पानी भर जाता है। जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे व अन्य समुदाय के लोग प्रभावित होते है।

❖ सूखा— गाँव के लोगो के साथ चर्चा करके पता चला कि सूखा 15 वर्ष पहले बरसात मई माह से अगस्त तक होती थी। किन्तु अब बरसात असमय होती है। पिछले पाँच वर्षों से बरसात के मौसम में मई में बारिश नही हुई बल्कि जुलाई में वर्षा हुई, फिर इसके बाद वर्षा बिल्कुल नही हुई जिससे, सूखा जैसी स्थित बन जा रही है। सूखे की स्थित में निम्नलिखित गतिविधिया वृद्धि कर रहीं है।

➤ गाँव में एक भी बाग-बगीचा नहीं है।

➤ खेतों में सिंचाई के प्रबंध गाँव के लोग अपने निजी पम्पसेट से करते हैं।

➤ गाँव में कुल 8 कुएँ है जो कि कूड़े कचरे से भरे हुए है। इनमें से 3 ही कुएँ सुरक्षित हैं।

➤ यहाँ के लोग वृक्षरोपण नहीं करते हैं। सड़को के किनारे खेतों के मेड़ों पर एक भी वृक्ष नहीं है।

समुदाय पर सूखा का प्रभाव

- पीने का पानी दूषित हुआ घर में नालों का पानी बिल्कुल नीचें चला गया जिससे घर के छोटे नल बन्द हो गये गाँव के 31 हैण्डपम्पों का पानी भी दूषित है। इन समस्याओं को देखते हुये पानी की टंकी का निर्माण किया गया, पानी की टंकी से जल की पूर्ति की जाती है। हर घर में टंकी का पानी सप्लाई किया जाता है।
- जानवरो को हरा चारा नहीं मिल पाना और तापमान बढ़ जाने की वजह से पशुओं के स्वास्थ्य पर असर पडता है। दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है।
- सूखे से खरीफ की फसलों में सिंचाई की लागत बढ़ गई सूखे से धान की फसल का 70% उत्पादन कम हुआ है।
- ❖ लू- लू भी गाँव को प्रभावित करने वाली आपदा है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकल कर आया कि गर्मियों के दिनों में 15 अप्रैल से 2 जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है व गर्म हवाएं चलने लगती हैं। इससे समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पडता है। गाँव के लोगों एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यह ज्यादातर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका विशेष प्रभाव पडता है। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है, छोटे बच्चों में लू लगने से पानी की कमी हो जाती है तथा हैण्डपम्पों का पेयजल काफी गर्म हो जाता है। पशुओं को भी चारा एवं पेयजल की समस्या होती है।
- ❖ शीतलहर- शीतलहर गाँव को प्रभावित करने वाली आपदा है। सर्दियों के मौसम में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर से हर वर्ष औसतम 100 से 120 बकरियों की मृत्यु हो जाती है। गाय-भैंसों के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषि कार्य, मजदूरी आदि आजीविका प्रभावित होती है। बच्चों में सर्दी के कारण निमोनिया हो जाती है मुख्यतः दलहन और तिलहन पर पाले का प्रभाव पडता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढाँचागत संरचना में कमियां हैं, जो कि निम्नवत हैं-

- ✓ गाँव में सामाजिक संगठन की कमी है। युवा मंडल दल, धार्मिक मंडल दल, कृषि केन्द्र, किसान संगठन, सामुदायिक अनाज बैंक आदि सामाजिक संगठन की कमी है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को ग्राम स्तर पर सहायता नहीं मिल पाती है और बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पडता है।
- ✓ लोगो को कृषिगत योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव है। पशुपालन में बीमा न करवाना, नसल का ज्ञान न होना, इसलिए भी नुकसान होता है।
- ✓ गाँव में सूखा, गीला कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा होकर फैलता रहता है। लोगों में कचरा प्रबंधन की जागरूकता नहीं है। कचरा बहकर निकास में बाधा उत्पन्न करता है।
- ✓ वर्षा के दिनों में मच्छर मक्खियों द्वारा बिमारियों की आशंका बनी रहती है।
- ✓ गाँव में एक भी आँगनवाडी केन्द्र भवन नहीं बना है।

4. क्षमता विप्लेशन:

आपदाओं के बारे में गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से गाँव स्वयं में कितना सक्षम है इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आंकलन किया गया।

ग्राम पंचायत अजीतपुर में एक सामुदायिक शौचालय है। बच्चों के शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय और 13 ऑगनवाडी केन्द्र है। गाँव की सभी गालियाँ आर सी.सी. है। लगभग 98% पक्के मकान है। जल निकासी के लिये नालियाँ है और पीने के पानी के लिये गाँव में टंकी की सप्लाई हैं। दो पंचायत भवन है। गाँव में 11 स्वयं सहायता समूह है। गाँव में 80% लोग अपना स्वयं का व्यवसाय व मेहनत मजदूरी करते हैं।

सामाजिक रूपरेखा

ग्राम पंचायत अजीतपुर में भ्रमण करने के उपरान्त समाजिक रूपरेखा का आंकलन किया। गाँव में मुस्लिम, तुर्क, सैफी, तेली, नाई सलमानी, सुनार, धोबी, पठान, खॉ, रंगरेज, अन्सारी, महागीर फकीर, मिस्ती, कुरेसी, सैफ, दर्जी, सययद। हिन्दू— सैनी, जाटव, वाल्मिकी, कायस्त, रस्तोगी, बनिया, बढई, दर्जी, यादव, गडरिया, धोबी, कुम्हार, ठाकुर, लोधी, राजपुत, नाई, पंजाबी, ईसाई आदि जातियों के लोग रहते है।

नई बस्ती से रोड के दोनो तरफ नाला हैं जो कि इन्ड्रस्टल एरिया के गन्दे नालों से जुड जाता है। यह अजीतपुर से मडैया शादी, रायपुर, नयागाँव, वकेनिया, सिकरौल जोलपुर, पव्वाई से होते हुये कोसी नदी में जाकर मिलता है।

यह नाला रामपुर नगर पालिका में आता हैं।







भौतिक संसधानो की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

क्रम	विवरण	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	गाँव से दूरी
1	प्राथमिक विद्यालय	1	श्रीमति नादरीन फरहाना अफरोज	200 मी0
2	पूर्व माध्यमिक विद्यालय(प्राइवेट))	5		200 मी0
3	निजी इंगलिश मीडियम विद्यालय	2		200 मी0
4	पंचायत भवन	2	ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी 9927106294	0 किमी
5	सरकारी राशन कार्ड की दुकान	3	200 मी0
6	थाना	1	500 मी0
7	कचहरी	1	2 किलो मीटर
8	जिला चिकित्सालय	1	5 किलो मीटर
9	एम्बूलेंस व्यवस्था	0	0 किमी
10	विकास खण्ड कार्यालय	1	4किलो मीटर
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	—

क्लाइमेट स्मार्ट – अजीतपुर(रामपुर) ग्राम पंचायत विकास योजना –वर्ष–2023–24 चरण 9

12	तहसील	1	8 किलो मीटर
13	आपदा विभाग	1	2 किलो मीटर
14	पोस्ट ऑफिस	1	0 किमी
15	बिजली विभाग	1	2किलो मीटर
16	डिग्री कॉलेज	0	0 किमी
17	फायर स्टेशन	1	4 किलो मीटर
18	बिजली घर	1	2 किलो मीटर
19	बस स्टेशन	1	4 किलो मीटर
20	रेलवे स्टेशन	1	2 किलो मीटर
21	खाद बीज दवा केन्द्र	1	0 किमी
22	बाजार	1	0 किमी
23	बैंक	4	0 किमी

क्रम	मानव संसाधन	सं.	नाम	मोबाइल नम्बर	दूरी
1	ग्राम प्रधान	1	श्रीमति मीना	9927106294	0 किलो मीटर
2	शिक्षक	0			1 किमी
3	शिक्षिका	2	श्रीमति नादरीन फरहाना अफरोज	8533042730	1 किमी
4	आंगनवाडी	13	श्रीमती कान्ती शर्मा श्रीमती आइसा देवी	9058399976 8445301209	1 किमी
5	आशा बहु	9	श्रीमती शमा श्रीमती रंजना सिंह	7839817724 7839817701	1 किमी
6	एएनएम	2	श्रीमती रेखा सक्सेना श्रीमती उषा	7839817607 8303437176	1 किमी
7	भूतपूर्व सैनिक	3	फारुख खाँ	9634088180	

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रम	संसाधन/पर्यावरणीय संसाधन	संख्या	विवरण नाम सम्पर्क संख्या	दूरी
1	तालाब	4	घाबरा तालाब अन्य तीन तालाबों पर अतिक्रमण कर घर बने है।	0

2	कुँआ	7	0
3	नाला	1	0
4	बाग	0	0
5	नदी	0	0
6	कृषिगत क्षेत्र	18.7 हे0	2 किलो मीटर
7	खुला क्षेत्र	0	0
8	सामुदायिक भूमि	0	0

वित्तीय संसाधन:

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध है। इस ग्राम पंचायत में उपलब्ध होने वाले सम्भावित वित्तीय संसाधनों का विवरण निम्नानुसार है—म

क्रम	मद	वर्ष 2022-23
1	15वां वित्त आयोग	—
2	स्वयं के राजस्व का स्रोत(ओ0एस0आर)	0

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत अजीतपुर की कार्य योजना का निर्माण

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 5 सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामिणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद ,जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण अवधारणा के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना को तैयार किया गया है जिसमें

आपदा जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है।



टीम द्वारा ग्राम के S.H.G
महिलाओं से वार्ता की गई

क्लाइमेट स्मार्ट – अजीतपुर(रामपुर) ग्राम पंचायत विकास योजना –वर्ष–2023–24 चरण 13

सेक्टरवार स्मार्ट ग्राम पंचायतअजीतपुर की कार्य योजना तालिका

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि (₹.)	अवधि	योजना परिव्यय	का
1	सेक्टर-1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा साफ-सफाई एवं स्वच्छता	हैण्डपम्प रिबोर	पेयजल की उपलब्धता हेतु 13 हैण्डपम्पों को रिबोर कराना	गुड्ड के घर के पास -1 काब्रिस्तान-1 आरा मशीन-1 अखलाख-1 जबवार-1 पनौरिया रोड-1 इमरानखों की दुकान-1 मन्दिर के पास-1 आस्थाना के गेट पर-2 निजाम-1 शाहाबाद रोड-1 आजी नबाब के खेत पर-1 अजीतपुर	5,46,800	3 माह	15वाँ वित्त आयोग	
2		हैण्डपम्प की मरम्मत	20 हैण्डपम्प की मरम्मत		60,000	3 माह	15वाँ वित्त आयोग	
3		पाइप पेयजल योजना में 1 टंकी निर्माण एवं आपूर्ति व्यवस्था	पाइप पेयजल योजना अन्तर्गत बिजली कनेक्शन, 1 टंकी निर्माण एवं आपूर्ति व्यवस्था	अजीतपुर		2.5 वर्ष	15वाँ वित्त आयोग	
4		नाला सफाई कार्य	2 किलो मीटर लम्बे नाले की सिल्ट, गंदगी सफाई कार्य	सोसाइटी से नेशनल हाइवे 9 तक	2,06,500	15 दिन	राज वित्त आयोग	

5	समुदायिक शौचालय	3 सामुदायिक शौचालय	सोसाइटी-1 पानी टंकी के पास-1 पुलिस चौकी-1	6,00,000	3 माह	राज विल्ल आयोग
6	नाली निर्माण कार्य	सीमेन्टेड / आर.सी.सी. नाली 160 मी सीमेन्टेड / आर.सी.सी. नाली 130 मी सीमेन्टेड / आर.सी.सी. नाली 230 मी सीमेन्टेड / आर.सी.सी. नाली 120 मी सीमेन्टेड / आर.सी.सी. नाली 130 मी सीमेन्टेड / आर.सी.सी. नाली 150 मी सीमेन्टेड / आर.सी.सी. नाली 180 मी सीमेन्टेड / आर.सी.सी. नाली 130 मी सीमेन्टेड / आर.सी.सी. नाली 150 मी	अजीतपुर 1 सफी अहमद के घर से याकूब के घर तक 2 जुग्गा भाई के घर से राशिद आफिज के घर तक 3 मकसूद के घर से पप्पू के घर तक 4 नबी शेर के घर से अमजद के घर तक 5 असरम के घर से मुकरम के घर तक 6 खलिल के घर से सन्नू के घर तक 7 खलिल मौलाना के घर से जलील के घर तक 8 भूरा भाई के घर से पप्पूखों के घर तक	14,96,370	1 वर्ष	15वाँ विल्ल आयोग
7	सेक्टर-2 बुनियादी / आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	8 ऑगनवाडी केन्द्र का निर्माण	1 कमरा, 1 बेबी शौचालय, बरामदा आदि	60,00,000	2 वर्ष	आरइएस

कलाइमेट स्मार्ट - अजीतपुर(रामपुर) ग्राम पंचायत विकास योजना -वर्ष-2023-24 ^{सह} 1

8	सेक्टर-3 आजीविका, कृषि, पशुपालन	1 कम्प्यूनिटी हॉल	कमरा, शौचालय, बरामदा आदि	पानी टकी के पास 2	5,00,000	1 वर्ष	15वें वित्त आयोग
		प्रधानमंत्री आवास निर्माण	37 प्रधानमंत्री आवास निर्माण	पूरा अजीतपुर	51,00,000	2 वर्ष	15वें वित्त आयोग
		सौर ऊर्जा द्वारा सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था	500 सौर ऊर्जा पैनल एवं खम्भा आदि स्थापना। 6 घर छोड़कर प्रकाश व्यवस्था	अजीतपुर	32,00,000	2 वर्ष	15वें वित्त आयोग
		व्यक्तिगत बागा-बगीचे निर्माण कार्य	4 मौलवियों के माध्यम से	काब्रिस्तान, लाल मस्जिद, सराय मस्जिद, मिलक्या मैदान	3,00,000	6 माह	मनरेगा
		पशु आश्रय स्थल	50 व्यक्तिगत पशु आश्रय स्थल का निर्माण	अजीतपुर	30,00,000	6 माह	15वें वित्त आयोग
		किसान जागरूकता कार्यक्रम	प्रतिवर्ष 3 फसल मौसम रबी, खरीफ, जायद आदि	अजीतपुर	1,00,000	5 वर्ष	कृषि एवं पशुपालन विभाग
		स्वच्छता एवं पेयजल जागरूकता।	सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ादान, स्लोगन, रैली आदि।	अजीतपुर	50,000	1 वर्ष	

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत अजीतपुर की आगामी वित्तीय वर्षों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान श्रीमती मीना द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2023 को पूरे ग्राम सभा में वार्ड मेम्बर द्वारा सूचना की गयी कि दिनांक 5.04.2023 को पंचायत भवन, अजीतपुर में खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत अजीतपुर के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 5.04.2023 को पंचायत भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाडी कार्यकर्त्री, आशा, ग्रामीण किसान महिलाएं एवं पुरुष के साथ अन्य बुजुर्ग ग्रामवासी उपस्थित हुए। इसमें ग्राम पंचायत के 72 लोगों ने भागीदारी की, जिसमें 28 पुरुष व 44 महिलायें उपस्थित हुए। इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्रीमती मीना जी ने की। बैठक के प्रारम्भ में सभी का स्वागत व परिचय ग्राम पंचायत सचिव श्री सतीश कुमार जी द्वारा किया गया। बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं बताया कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरा विश्व झेल रहा है। इसका पूरा प्रभाव हमारे ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों पर भी पड़ रहा है। सरकार इस दिशा में सतत प्रयास कर रही है। यह बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेतु आयोजित की गई है। उ.प्र. के 39 जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त प्रभाव को झेल रहा है। उनमें से रामपुर जनपद भी सम्मिलित है। रामपुर का अजीतपुर ग्राम पंचायत को इस कार्य हेतु चयनित किया गया है। पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की विकास योजना बनी है। इन 3-4 दिनों में जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना की निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए।

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण) :

ग्राम पंचायत के जोखिम जलवायुगत जोखिम को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में ग्रामप्रधान, पंचायत प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों व गांव के लोगों ने अजीतपुर का ट्रांजेक्ट वाक किया। विस्तृत विवरण एवं जानकारी संलग्न किया जा रहा है।

ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ

बसाहट	गांव के शुरूआत में इन्ड्रिसटल एरिया है। यह एरिया ग्राम पंचायत में नहीं आता है। गांव में अधिकांश लोग अपनी दुकाने करते हैं। गाँव में 157 इण्डिया मार्का नल है। अधिकांश मकान पक्के बने है। इसके अलावा गांव में गाय, भैंस, बकड़ी, सुअर, भेड़ आदि पशु हैं।
ताल-तलैया	गांव के बाईपास रोड पे एक छोटा सा तालाब हैं।
नाला	ग्राम पंचायत के पश्चिम दिशा में 1 नाला है। जो पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर निकलता है। उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हैं। इस नाले की सफाई व पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।
हरितक्षेत्र बाग-बगीचा	ग्राम पंचायत के भ्रमण में हरित क्षेत्र बहुत कम देखने को मिले। इस गांव में एक भी बाग-बगीचा नहीं है।
भौतिक संसाधन	ग्राम पंचायत में दो पंचायत भवन हैं। पुराने वाले पंचायत भवन के सामने पूरव दिशा में एक विशाल पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। जिससे पूरे गाँव में पानी की सप्लाई होती है। गाँव में जगह-जगह पानी की सप्लाई की टॉंटी लगी हुई है। इसके साथ ही 157 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प भी पेयजल हेतु गाँव में उपलब्ध है। एक स्वास्थ्य केन्द्र भी हैं जिसमें 3 कमरे, शौचालय व बरामदा भी है। ऑगनवाडी केन्द्रो के पास एक भी भवन नहीं है। ऑगनवाडी के जीर्णोधर की आवश्यकता है। गाँव में प्राथमिक विद्यालय व जूनियर विद्यालय भी है।



सामाजिक मानचित्रण

पूरे गाँव में भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के बारात घर में ग्रामवासियों के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं—


विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	380.614हे0	खेती व बसाहट का स्थान मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	1	अजीतपुर
कुल घरों की संख्या	3447	ग्राम पंचायत अजीतपुर
कुल पक्के घरों की संख्या	3265	प्रत्येक मोहल्ले में अधिकांश पक्के छत वाले घर हैं।
कुल कच्चे घरों की संख्या	172	अजीतपुर में कुछ घर कच्चे हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की संख्या	120	अजीतपुर में 120 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है।
विकलांग जनों की संख्या	122	पुरुष—86, महिला—36
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	435	पूरे गाँव में
इण्डिया मार्को हैण्डपम्प	157	पूरे गाँव में

जातिगत—श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	750
पिछडी जाति के घरों की संख्या	2382
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	315
कुल घरों की संख्या	3447

आजीविका के साधन

आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी	98
छोटे धन्धे	512
कृषि आधारित	275
कला एवं शिल्पकार	1010
पशुपालन	105
लोकल दुकान	255
मजदूरी	1192



प्रशासनिक समिति	निर्माण कार्य समिति	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
सभापति—श्रीमती मीना	सभापति—जाहिद अली	सभापति—आदिल
सदस्य	सदस्य	सदस्य
म्मता	ममता	ममता
मकसूद	मकसूद	मकसूद
तरुन्नुम	तरुन्नुम	पूजा
टादिल	आदिल	कृष्णकुमार
अफराज	अफराज	जितेन्द्र
आदित्य	आदित्य	जुवेदा

पेयजल, स्वच्छता एवं जल प्रबंधन समिति	नियोजन एवं विकास समिति	शिक्षा समिति
सभापति—सरफराज	सभापति— श्रीमती मीना	सभापति—श्रीमती मीना
सदस्य	सदस्य	सदस्य
म्मता	ममता	ममता
राजवती, पूजा	मकसूद	पूजा
कृष्ण कुमार सक्सेना	तरुन्नुम	कृष्ण कुमार सक्सेना
जुवेदा	आदिल	जुवेदा
नजिम	अफराज	नाजिम, असलम
जाहिद अली	आदित्य	सराफत, यूनूम खां

क्रमांक	पंचायत सदस्य का नाम	मोबाइल नम्बर
1	म्मता	7839817724
2	मकसूद	9927106294
3	तरुन्नुम	9760770645
4	टादिल	8445285567
5	सरफराज	
6	आदित्य	
7	जितेन्द्र	
8	कृष्ण कुमार सक्सेना	9366235230
9	पूजा	
10	नजिम	
11	जाहिद अली	
12	अरशो बेगम	
13	जिश्मान हुसैन	
14	जुवेदा, राजवती	

आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाक्रम

ग्राम पंचायत अजीतपुर का ऐतिहासिक समय रेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब-कब प्रभावित कर रही हैं। इस क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने माना कि जलजमाव एक ऐसी आपदा, जो लगातार समुदाय को प्रभावित कर रही हैं। हाल के वर्षों में सूखा, लू एवं शीतलहर का प्रकोप पूरा ग्राम पंचायत जेल रहा है। साथ ही विगत दो वर्षों से कोरोना नामक बिमारी आपदा भी हो गई है। इस बिमारी से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लग जाने के कारण लोग अपने घरों में बन्द हो गये थे। इसका सबसे अधिक प्रभाव यहाँ पर मेहनत, मजदूरी करने वालों पर पडा। प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत दर्ज किया गया है।



टीम द्वारा आग्नबाड़ी से वार्ता



क्रम	वर्ष	आपदा-खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1.	1989	सूखा	वर्षा का कम होना	-	1200 लोग	10 हे0 की फसल	2010,11 में पेयजल हेतु हैण्डपम्प रिवोर एवं समर सेवल व कृषि सिंचाई हेतु 2 ट्यूबल लगाये गये।
2.	1992	आंधी तूफान	पहाड़ों में अधिक वर्षा	3	पूरा अजीतपुर	2 लोगो के मकान गिर कर ध्वस्त हो गये।	2015 में आवास योजना द्वारा सरकारी योजना का लाभ मिला।
3.	2008	ओला	मौसम खराब	-	पूरा अजीतपुर	कोई नुकसान नहीं हुआ।	कोई कार्य नहीं।
4.	2010	जलजमाव	जल निकासी का अभाव,		आधा अजीतपुर	सड़के टूट जाती है। जिससे आवागमन बाधित हुआ।	2015 से 2020 तक आर सी सी रोड व नालियों का निर्माण कार्य प्रधान जी द्वारा कराया गया।
5.	2020 2021	कोरोना का प्रभाव	गाँव में हैदराबाद व महाराष्ट्र से आये लोग।	6	110 130	रोजगार बाधित व आर्थिक क्षति	टीकाकरण जागरूकता व साफ सफाई।
6.	2021 2022	सूखा	वर्षा का कम होना	0	0	कोई क्षति नहीं हुई, कृषि क्षेत्र का अधिक कम है।	कोई कार्य नहीं।

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

क्रमांक	आजीविका के प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है
				अधिक	मध्यम	कम	
1	कृषि	275	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> • लगभग 2 एकड़ फसल नष्ट हो जाती है। • रबी के मौसम में लगभग 1 एकड़ की भूमि में बुवाई का कार्य नहीं हो पाता है।
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • सिंचाई अधिक लगती है, फसले झुलस जाती है। • सभी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। • फसलों की बढ़वार नहीं होती है।
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • फसलों की बढ़वार प्रभावित हो जाती है। • सरसों में माहो का प्रकोप बढ़ जाता है। • आलू में पाला की समस्या होती है। • फसलें झुलस जाती हैं।
2	मजदूरी	1192	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> • आने जाने में परेशानी, रोजगार प्रभावित • मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती। • नालियों में जलजमाव के कारण मच्छर व मक्खियों के होने से जल जनित रोग होते हैं।
			सूखा				<ul style="list-style-type: none"> • फसलें प्रभावित होती हैं। • कृषिगत मजदूरी कार्य नहीं मिलता है। • खान-पान पर प्रभाव पड़ता है। • आजीविका प्रभावित होती है।
			शीतलहर				<ul style="list-style-type: none"> • काम नहीं मिल पाता है। • स्वास्थ्य खराब रहता है। • खर्चा बढ़ जाता है।
3	पशुपालन (गाय, बैस, बकरीपालन,	105	जलजमाव				<ul style="list-style-type: none"> • अच्छा चारा नहीं मिल पाना। • फसलों में पानी भर जाने के कारण सूखा चारा नहीं मिल पाना।

	मुर्गीपालन आदि)							<ul style="list-style-type: none"> • पशुओं में बीमारी बढ जाना। • पशुओं में दूध की कमी हो जाना। • पशुओं को नहलाने में परेशानी हो जाना। • अधिक तापमान होने के कारण चारा में कमी। • धूप के कारण पशुओं में बीमारी का होना। • दूध की कमी हो जाना। • पशुओं का स्वास्थ्य खराब होना। • पशुओं की मृत्यु हो जाना।
4	स्वयं का व्यवसाय (छोटी दुकान आदि)	255	जलजमाव					<ul style="list-style-type: none"> • सामान लाने ले जाने में असुविधा। • कच्चा माल खराब हो जाना। • सामान मंहगा हो जाना। • व्यवसाय मन्द पड़ जाता है।
			सूखा					
			शीतलहर					
			शीतलहर					

रिपोर्ट टीम का नाम

1. उदयरतन,
 2. रामनारायण,
 3. अलका ,
 4. विश्वम्भर नाथ
- संस्था का नाम – ग्राम स्वराज्य मिशन आश्रम,
जंगबहादुरगंज, लखीमपुर खीरी (उ.प्र.)

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁸² = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁸³ = ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁸⁴ = ₹40,000/हेक्टेयर⁸⁵</p>	

82 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

83 लागत बाजार भाव के अनुसार

84 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

85 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंधी का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंधी के लिए⁸⁶ = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब</p> <p>चरण 3: यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण⁸⁷ = ₹90,000	

86 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

87 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000</p> <p>कुल लागत⁸⁸: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	

88 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत⁸⁹ = ₹35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹35,000⁹⁰</p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत⁹¹:</p> <p>1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) का निर्माण = ₹7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3,75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट</p>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p>चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p>चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ</p>	<p>अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें</p>	

89 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

90 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

91 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-रिक्शा	1 ई-रिक्शा की कीमत: ~ ₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
2	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कर्माशियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 लाख से 10 लाख	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या⁹² =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>b. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>d. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना</p>	

92 लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ⁹³ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा बैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ⁹⁴ = ₹15,000	
2	बेहतर स्वच्छता प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक शौचालय का निर्माण चरण 2 और 3: शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत = ₹15,000 से ₹20,000	
3	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न ⁹⁵ की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	

93 लागत बाज़ार भाव के अनुसार

94 एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

95 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2 और 3:</p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत⁹⁶:</p> <p>1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000</p> <p>2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹35,00,000</p>	
4	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p>चरण 1:</p> <p>a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध</p> <p>b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम</p> <p>c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना</p> <p>d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल</p>	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	

96 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

1	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000⁹⁷</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ___ टन CO₂</p>
---	----------	---	---	--

97 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2 और 3: परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत[#] = ₹50,000⁹⁸</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत⁹⁹ = ₹1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

98 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

99 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p> <p>प्रति पंप लागत¹⁰⁰ = ₹3 से 5 लाख</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂e)</p>
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 उन्नत चूल्हे की लागत = ₹3,000¹⁰¹</p>	

100 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

101 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹⁰²</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000¹⁰³</p>	

आजीविका और हृदित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत ¹⁰⁴	
---	---	--------------------------	--	--

102 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

103 बाजार दर के अनुसार लागत

104 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत: <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>) : ₹8-₹15 लाख प्रति यूनिट

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्रोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

